2004-05 एक सापेक्ष परिदृश्य

मुझे वर्ष 2004-05 के कॉफी बोर्ड की 65 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है ।

जैसा कि सुप्रसिद्ध है दुनिया में सबसे अधिक कारोबार किए जाने वाले वस्तुओं में दूसरे स्थान पर स्थित कॉफी ने 2000 एवं 2004 के मध्य की अवधि में अपने अब तक के इतिहास के संकटपूर्ण समय को जिया है क्यों कि आपूर्ति-मांग में ताल मेल न होने से, उपजकर्त्ता मूल्य अलाभकर बने रहे। प्रवर्धित कम मूल्य परिदृश्य के परिणाम स्वरूप बहुत से कॉफी उपजाने वाले देशों में फार्मों के प्रति लापरवाही नौकरियों में विस्तृत हानि हुई, राजस्व में घटत दिखाई दी, गाँवों से शहरों की ओर पलायन हुआ, छाया देने वाले वृक्षों की कटाई हुई, कर्जदारी बढ़ने जैसी घटनाएं हुई। साथ ही मूलभूत उत्पादक राज्यों के कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक ताने बाने के लिए इस संकट की विशालता बहुत ही विनाशपूर्वक साबित हुई ।

भारतीय परिदृश्य मोर्चे में भी परस्थिति इससे अलग नहीं थी और भारतीय कॉफी उपजकर्त्ताओं ने मूल्य संकट को संचालित करने के अलावा प्रतिकूल मौसमीय स्थिति के क्रोध को झेला जो पिछले 2-3 वर्षो के दौरान देश के अधिकांश कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में लिए रहा । प्रतिकूल मौसमीय स्थिति से नाशिकीट एवं रोग पनपने लगे विशेषकर वाईट स्टेम बोरर के आघटन से कई हजार अरेबिका पौधे मृत्यु को प्राप्त हो गये । और इसके फलस्वरूप देश के समग्र कॉफी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा ।

अहो भाग्य 2004-05 के दौरान कॉफी मूल्य युक्ति युक्त रूप से एक सुखकर स्तर पर पहुँच गए हैं, फिर भी उपजकर्त्ता अब भी लम्बे संकटपूर्ण स्थिति के प्रभाव से उबर नहीं पाए हैं ।

गंभीर परिस्थितियों से सामना होने के बावजूद मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय कॉफी उपजकर्ता समुदाय ने बडे ही लचनशीलता का परिचय दिया और भारत सरकार तथा पारंपरिक कॉफी उत्पादक राज्यों के राज्य सरकारों के पर्याप्त समर्थन के साथ संकटपूर्ण स्थिति से उबरने में सफलता पाई । मुझे यह कहते हुए गर्व है कि विभिन्न उपजकर्त्ता निकायों, बैंकिंग सेक्टर एवं सरकार को एक स्थान पर लाने में कॉफी बोर्ड ने एक सजीव भूमिका निभाई है । देश के कॉफी उद्योग के संपोषण के लिए बहुत से समर्थन उपाय भी नियोजित किए हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट आउटलुक 2004-05 :

वर्ष 2004-05 के दौरान कॉफी मूल्यों ने एक ऊर्धमान रूझान दर्शाया । कैलेण्डर वर्ष 2004 के लिए आई सी

ओ समेकित सूचकांक का औसत पिछले कैलेण्डर वर्ष 2003 के 51.91 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 62.15 सेन्ट्स था । वित्तीय वर्ष 2004-05 (अप्रैल-मार्च) का औसत आई सी ओ सूचकांक मूल्य 2003-04 के 53.7 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 69.72 सेन्टस प्रति पाउण्ड था । न्यू यार्क फ्यूचर्स (अरेबिका) मूल्य 2003-04 के 67.52 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 2004-05 में 90.38 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था । उसी भाँति लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा) का औसत मूल्य 2003-04 के 33.49 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 2004-05 में 34.09 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था ।

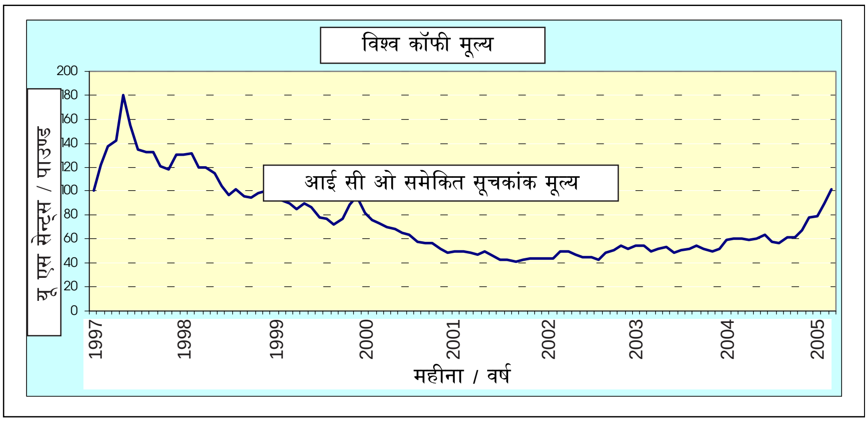

घरेलू बाजार में अरेबिका (प्लान्टेशन ए) के लिए आई सी टी ए नीलामी मूल्य 2003 के 56.18 रू प्रति कि ग्रा की तुलना में वर्ष 2004 में 72.16 रू प्रति कि ग्रा था । यहाँ 28% का महत्वपूर्ण बढ़त हुआ है । रोबस्टा (चेरी ए बी) कीमतों ने भी 2003 (33.58 रू प्रति कि ग्रा) की तुलना में 2004 (34.94 रू प्रति कि ग्रा) में बढ़त दर्शाई है ।

निम्नलिखित तालिकाएं पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार में कॉफी मूल्यों में आए उतार-चढ़ाव का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है ।

आई सी ओ समेकित सूचकांक मूल्य (वित्तीय वर्ष औसत) एवं न्यू यार्क तथा लन्दन फ्यूचर्स मार्केट के दूसरे व तीसरे स्थान का औसत

यू एस सेन्ट्स पाउण्ड

वित्तीय वर्ष	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आई सी ओ समेकित सूचकांक	81.75	57.19	44.78	49.45	53.71	69.72
न्यू यार्क फ्यूचर्स (अरेबिका)	107.24	83.45	54.87	60.57	67.52	90.38
लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा)	57.64	35.18	21.66	30.07	33.49	34.09

अई सी ओ समेकित सूचकांक मूल्य (कैलेण्डर वर्ष औसत) एवं न्यू यार्क तथा लन्दन फ्यूचर्स मार्केट के दूसरे व तीसरे स्थान का औसत

यू एस सेन्ट्स / पाउण्ड

कैलेण्डर वर्ष	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
अई सी ओ समेकित सूचकांक	85.72	64.25	45.60	47.74	51.91	62.15	90.06
न्यू यार्क फ्यूचर्स (अरेबिका)	106.48	94.58	58.86	57.02	65.00	79.85	117.80
लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा)	64.07	40.11	23.92	25.88	33.94	32.89	39.53

* जनवरी से मार्च 2005

नीलामी मूल्य-आई सी टी डी ए (बेंगलूर) में प्राप्त हुए औसत मूल्य

रू / कि ग्रा

वर्ष	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
प्लांटेशन ए	80.84	80.08	56.58	56.86	56.18	72.16	07.70
रेबास्टा चेरी ए बी	60.10	39.92	29.36	28.80	33.58	34.94	45.00

* जनवरी से मार्च 2005

विश्वव्यापी आपूर्ति एवं माँग संतुलन

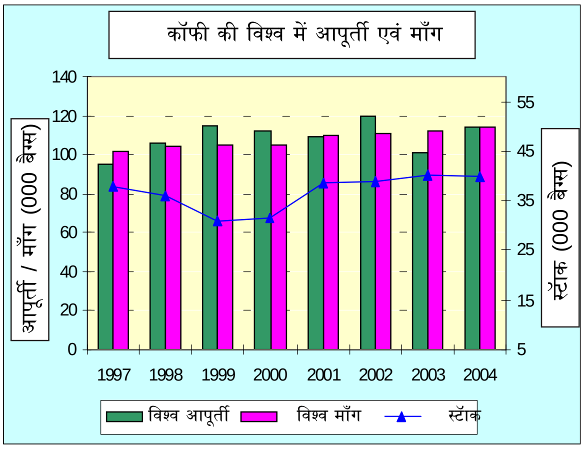

विश्वव्यापी उत्पादन जो 2002 में 123.14 मिलियन बैग के रिकार्ड स्तर पर था वह 2003 में 104.77 मिलियन बैग तक गिर गया, परन्तु 2004 में पुन: 116.43 मिलियन बैग तक उठ गया और इसने 2003 पर 11% की बढ़त दर्ज की । विश्वव्यापी खपत 2003 के 113.08 मिलियन बैग से 2004 में 115.00 मिलियन बैग तक बढ गया और इसने 2% की वार्षिक बढ़त दर्ज की।

विश्वव्यापी उत्पादन / खपत

(मिलियन बैग में)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 #
उत्पादन *	116.16	115.64	107.69	123.14	104.78	116.43
खपत **	104.10	106.90	107.60	110.73	113.08	115.00
निर्यातयोग्य उत्पादन	90.22	86.46	82.22	93.70	88.73	88.95

स्रोत : आई सी ओ *फसल वर्ष ** कैलेण्डर वर्ष # प्राक्कलन

कैलेण्डर वर्षों में मात्रा व निर्यात मूल्य

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
मात्रा	85.42	89.00	90.35	88.45	85.86	90.70
मूल्य	9.40	8.10	5.38	5.13	5.59	6.88

स्रोत : आई सी ओ मात्रा मिलियन बैग में और मूल्य यू एस बिलियन डालर्स में

भारत-उत्पादन तथा निर्यात :

2004-05 में कॉफी उत्पादन 2,75,500 टन था जो कि पिछले वर्ष अर्थात 2003-04 के उत्पादन (2,70,500 टन) से थोडा अधिक था । 2004-05 में भारत ने 294.40 मिलियन यू एस डालर्स की कमाई के साथ 2,11,566 टन कॉफी (पुन: निर्यातों को शामिल कर) का निर्यात किया जो पिछले वर्ष की 271.29 मिलियन यू एस डालर्स की कमाई से लगभग 9% अधिक है । रूपयों के व्यवहार में, 2004-05 में उगाही लगभग 1,223.61 करोड रू था जो पिछले वर्ष के 1199.02 करोड रू से लगभग 2% अधिक है ।

कुल 2,11,566 टन के निर्यात में 55,121 टन अरेबिका (26%) 1,00,596 टन रोबस्टा (47%) और ग्रीन बीन समतुल्य में 55,849 टन इंस्टंट कॉफी शामिल है । भारत के कुल निर्यातों के 53% इटली (23%), रूस संघ (16%), जर्मनी (8%), स्पेन (6%) का शेयर था और शेष (47%) को अन्य 71 देशों ने शेयर किया।

स्पेशालिटी और मूल्य संवर्धित कॉफी का निर्यात

(मात्रा मे ट में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05**
स्पेशालिटी कॉफी	4196.8	4096.5	4884.1	7289.4	8052.4	8967.0
मूल्य संवर्धित कॉफी *	33509.1	44129.3	43459.9	43418.8	44637.0	55941.0
योग	**37705.9**	**48225.8**	**48344.0**	**50708.2**	**52689.4**	**64908.0**

* हरी कॉफी समतुल्य में घुलनशील भुनी व पिसी कॉफी को शामिल करते हुए ।

** पुन: निर्यातों को शामिल करते हुए ।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन में सदस्यता 73 थी जिसमें 44 निर्यातक और 29 आयातक देश शामिल थे। आई सी ओ से दूर रहे यू एस ए ने आई सी ओ में शामिल होने का निर्णय लिया ।

आई सी ओ में यू एस ए के पुन: प्रवेश से वोट शेयर के समीकरण में परिवर्तन की भी अपेक्षा की जाती है क्योंकि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उपभोक्ता देश होने के कारण यू एस ए वोट के अधिक शेयर का हकदार होगा । इस दृश्य में भविष्य के आई सी ओ संविमर्श एवं निर्णयों में यू एस ए का सबसे ज्यादा बोल बाला रहेगा। आई सी ओ का विश्वास है कि भविष्य में चीन, रूस और पेरू जैसे और नए सदस्य संगठन में शामिल होंगे।

भारतीय कॉफी उद्योग के सम्मुखीन मुद्दे

1. मूल्य सुधार के बावजूद, पिछले 4-5 वर्षों में उनके द्वारा उठाए गए आर्थिक कठिनाईयों से उपजकर्त्ता अब तक उबर नहीं पाए हैं । अधिकांश कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों में व्हाइट स्टेम बोरर के फैलने से कई हजार फलप्रद अरेबिका पौधों का नाश हो गया जिसने पिछले 2-3 वर्षों में अरेबिका की उत्पादकता को भी प्रभावित किया है और यह प्रभाव अगले 4 वर्षों के लिए जारी रहेगा, ऐसा महसूस किया जाता है । उपजकर्ता व्हाइट स्टेम बोरर प्रभावित पौधों के जगह पुनर्रोपण करने के लिए भी बाध्य होंगे और इसके लिए बहुत अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता होगी । यद्यपि, उपजकर्त्ताओं को प्रेरित करने के लिए बोर्ड ने वर्ष के दौरान व्हाइट स्टेम बोरर की अवस्थाओं को हटाने और नष्ट करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया, व्हाइट स्टेम बोरर आपतन, नाशिकीट स्तर से अधिक पर जारी रहा, जो गंभीर है ।

2. कॉफी उपजकर्त्ताओं के ऋण बोझ को कम करने के लिए एक व्यापक राहत पैकेज देने हेतु बोर्ड के प्रस्ताव को सरकार ने 08-06-2005 को स्वीकृति दे दी । प्रस्तावित राहत पैकेज की विशेषताएँ निम्नानुसार है :

क) तीन वर्ष विलम्बन अवधि के दौरान एस सी टी एल पर कुल ब्याज भार को बैंक, भारत सरकार और उपजकर्त्ता ऋणी प्रत्येक 1/3 के हिसाब से आपस में बराबर बाँटेंगे ।

ख) एस सी टी एल ऋणों के शेष पुनर्दायगी अवधि के दौरान एस सी टी एल पर लगाये जाने वाले ब्याज को वर्तमान 11% से 9% या कृषि सेक्टर के लिए उपयुक्त दर तक, जो भी कम हों, कम करने के लिए बैंक से आग्रह करना ।

ग) कॉफी बोर्ड को उपजकर्त्ताओं से देय ब्याज सहित कॉफी विकास ऋणों को मुआफ कर देना ।

घ) कॉफी बोर्ड योजना निधि से 10 वीं योजना के संपूर्ण अवधि के दौरान छोटे उपजकर्त्ताओं के लिए 5% और बडे उपजकर्त्ताओं के लिए 3% के दर पर कार्य पूँजी ऋणों पर ब्याज उपदान प्रदान करना।

विशेष कॉफी पैकेज ने उपजकर्त्ताओं को आर्थिक मुश्किलों से उभरने में काफी हद तक राहत दिया है।

3. चालू मूल्य दृश्य में बचे और टिके रहने के लिए, भारत को अच्छी क्वलिटी कॉफी के उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को बनाऐ रखने की आवश्यकता है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इच्छुक प्रीमियम प्राप्त हो सके। इस संबंध में उद्योग के सम्मुख एक सीमा है क्यों कि भारत में मिले जुले अरेबिका किस्मों को उपजाने का अभ्यास है । कप प्रोफाइल और क्वालिटी विशेषता को सुधारने के लिए, समरूप किस्मों को उपजाने की अनिवार्यता जरूरी है और बोर्ड आने वाले दिनों में उद्योग को वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपने ध्यान को फोकस करेगा ।

4. आगे, हमें मूल्य चेन में तकनीक के उन्नयन और घरेलू उपभोग को प्रोन्नत करने की आवश्यकता है, जो दीर्घावधि में कॉफी उद्योग को स्थिरता प्रदान कर सकता है ।

नवम्बर, 2005
बैंगलूरु

जी वी कृष्ण रावु
अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड

अध्याय 1

कार्यकारी सारांश

उत्पादन

- फसल सीज़न 2004-05 के लिए उत्पादन प्राक्कलन 2,75,500 टन (4.6 मिलियन बैग्स) था जिसमें 1,03,400 टन अरेबिका और 1,72,100 टन रोबस्टा शामिल है, जो पिछले वर्ष अर्थात 2003-04 से 5,000 टन अधिक है। पिछले वर्ष की तरह प्रतिकूल मौसम, उत्पादन के रक्षण में अवरोध थे । कारण थे असमय बौछार, लम्बी अनावृष्टि अवधि और अरेबिका बागानों में व्हाइट स्टेम बोरर के बढ़ते आपतन। उपजकर्त्ताओं के वित्तीय प्रतिबन्ध के कारण घटे निवेश का भी उत्पादन के स्थिरता में योगदान रहा है ।
- देश में सबसे अधिक कॉफी उपजाने वाला राज्य कर्नाटक 1,98,600 टन (72%) से उत्पादन में सर्वोच्च रहा उसके बाद केरल 54,300 टन (19.7%) और तमिल नाडू 18,300 (6.7%) रहा। गै पा क्षे / उ पू क्षेत्र ने शेष 4,300 टन (1.6%) दिए ।
- कॉफी के लिए कुल रोपित क्षेत्र लगभग 3.55 लाख हेक्टेर था जिसमें से कुल फलन क्षेत्र लगभग 3.28 लाख हेक्टेर था ।
- वर्ष के दौरान कुल फार्म उत्पादकता 840 कि ग्रा हे था जो पिछले वर्ष (825 कि ग्रा हे) से थोडा अधिक था ।
- 1,75,475 जोतों मे प्रत्येक 10 हे से कम हैं जो कुल जोतों का 98% है । क्षेत्रवार कॉफी जोतों के 3,54,840 हे के कुल क्षेत्र में से 2,40,662 हे छोटे उपजकर्त्ताओं के पास था जो कि लगभग 68% है । फिर भी, उत्पादन की दृष्टि में छोटे उपजकर्त्ताओं का योगदान कुल उत्पादन का केवल 60% रहा । देश का उत्पादन शेयर विश्व उत्पादन के लगभाग 4% था।

निर्यात

- वर्ष 2004-05 के दौरान पुन: निर्यात को शामिल कर भारत का कुल निर्यात 2,11,566 टन था जिसमें 55,121 टन अरेबिका, 1,00,596 टन रोबस्टा और 55,849 टन इंस्टंट कॉफी शामिल है। वर्ष के दौरान भारतीय कॉफी को 75 देशों को निर्यातित किया गया।
- मूल्य की दृष्टि से 2004-05 के दौरान निर्यात कमाई 294.40 मिलियन यू एस डालर्स थी जो कि पिछले वर्ष की निर्यात कमाई 271.29 मिलियन यू एस डालर्स से लगभग 9% अधिक है ।

अनुसन्धान

- पत्ती किट्ट प्रतिरोध के विभिन्न ज्ञात स्रोतों यथा सार्चिमोर एच डी टी, एस 4595 और एस 881 को कावेरी / केटीमोर के साथ संकरित कर अरेबिका समपित्रैकों के पच्चीस सम्मिलन सृजित किए गए और उन्हें सी सी आर आई के प्रायोगिक प्लाटों में

स्थापित किया गया । इनमें से तेरह सम्मिलन ने 1000 कि ग्रा / हे से ज्यादा उपज रिकार्ड किया और इन सम्मिलन के बहुत से पौधे किट्ट से मुक्त हैं।

- वर्ष के दौरान कावेरी, सेलेक्शन 6, सिलेक्शन 9, बोरबोन, कोफिया प्रजाति और सी X आर के 3229 ऊतक संवर्धित पौधों को मूल्यांकन हेतु विभिन्न कृषि जलवायवीय स्थितियों में लगाया गया ।
- काफीया और सिलान्थस के विशेषता युक्त आर ए पी डी एवं आई एस एस आर चिन्हक (मार्कर्स) को पहचाना गया।
- सी सी आर आई एवं सी आर एस एस, चेट्टल्ली में असंरोपित नियंत्रण की तुलना में एज़ोस्प्रिलम + वेम + पी एस बी के संयुक्त संरोपण से पौदों की शक्ति में वृद्धि देखी गई।
- जैव-कम्पोस्टीकरण परिणामों ने दर्शाया कि फानेरोशियाटे क्राइसोस्पोरियम, ट्रिकोडर्मा विरिडे, प्लूरोटस सजारकाजू एवं एस्परजिलस अवामोरी से युक्त मल्टी मीडिया कल्चर के उपचार करने पर कम्पोस्टिंग के सभी स्तरों में सी: एन अनुपात का त्वरित घटाव देखा गया ।
- अवधि के दौरान, 9,942 मिट्टी नमूनों का विश्लेषण, मिट्टी प्रतिक्रिया, मौजूद पी और के, जैव कार्बन तत्व एवं सूक्ष्मपोषक तत्वों के लिए किया गया ताकि उपजकर्त्ताओं को चूना एवं उर्वरक संबन्धी सलाहें दिए जा सकें । कुल 640 पत्ती नमूनों एवं 716 कृषि रसायनों का सलाहकारी उद्देश्य हेतु विश्लेषण किया गया। इसमें लाइमिंग सामग्री (चूनाकरण) उर्वरक, जैव खाद एवं कापर सल्फेट शामिल हैं।
- केरल के वायनाड जिले का मिट्टी पोषक तत्व मानचित्र तैयार किया गया और उसे मार्च 2005 के दौरान रिलीज़ किया गया ।
- 1.5% ग्लिरिसिडिया पत्ती निस्सारक एवं 'सेलेओ' (जैविक रूप से प्राप्त एक पी जी आर) को 400 ग्राम प्रति एकड के हिसाब से पत्तों पर मानसून पूर्व एवं मानसूनोत्तर छिडकाव से पैदावर में नियंत्रण की तुलना में 134 एवं 126 किलोग्राम प्रति हेक्टर की वृद्धि सम्भव हुई ।
- 13 सी डिसक्रिमिनेशन अध्ययन ने दर्शाया कि स्टेशन में रिलीज़ किए गए सिलेक्शनों में से सिलेक्शन 3, 9, 1, 11, 7.3 एवं 4 (टी) में बेहतर जल इस्तेमाल क्षमता थी।
- जड़ स्कन्ध के मुकाबले शाख कलमों के संयोजन में एस 3311 X बी आर 12 (ऊँचे डब्ल्यू यू ई के मुकाबले ऊँचे जड किस्म) और उसके उलट ने जड स्कन्ध और शाख कलम संयोजन के तौर पर कुल बायोमास कोंपल से जड अनुपात (एस आर आर) जड से कोंपल अनुपात (आर एस आर) और संचयी जल नि:सृत (सी डब्ल्यू टी) में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया ।
- स्टेम बोरर से सात नए परजीव्याभों को संग्रहित किया गया और उनमें से चार सम्भावी प्राकृतिक शत्रु पाए गए हैं। कुछ और परजीव्याभ इकट्टा किए गए हैं और उन्हें पहचान हेतु सी ए बी आई बायोसाइन्स भेजा गया है ।
- करीब 5000 एपेनेसिया एस पी (वाईट स्टेम बोरर का परजीव्याभ) का गुणन किया गया और 3,495 को सी सी आर आई से विभिन्न उपजकर्त्ताओं को दिया ताकि वे उनको अपने फार्मों में और आगे गुणन कर सकें और एस्टेटों में छोड सकें । सी सी आर आई प्रयोगशाला से सी आर एस एस, चेट्टल्ली, आर सी आर एस, थाण्डीगुडी और नरसीपट्टनम को परजीव्याभ ऊतक दिए गए ताकि उनका प्रयोगशाला में गुणन कर उन्हें आगे रिलीज़ किया जा सके। चेट्टल्ली में 6,000 भृंगों को उत्पन्न कर उनमें से 1,800 को बागानों में छोडा गया ।

- ❖ बेरी बोरर के विरुद्ध जैव नियंत्रण कार्यक्रम में कुल 2,79,695 परजीव्याभ पाले गए और 2,18,750 को 165 एस्टेटों में रिलीज़ किया गया।
- ❖ आर सी आर एस, चुन्देल से वायनाड के उपजकर्त्ताओं को कुल 2,850 ब्रोकाट्रेप आपूरित किए गए । सी सी आर आई से चिकमगलूर एवं हासन जिले के उपजकर्त्ताओं को 2500 प्रलोभक की आपूर्ति की गई। एक नए प्रकार के ब्रोका ट्रेप को विकसित किया गया है।
- ❖ विभिन्न अणुजीवी ऊतकों का प्रयोग कर पत्ती किट्ट के जैव नियंत्रण पर अध्ययन प्रारंभ किए गए।
- ❖ निस्रव एवं प्रदूषण भार का अन्दाजा लगाने के लिए किए गए अध्ययन से पता चला कि प्रसंस्करण किए गए प्रति टन के निस्रव में निस्रव के पुन: चक्रण से जल के खपत एवं प्रदूषण भार को कम किया जा सकता है ।
- ❖ 23 व्यापार नमूनों, 28 फार्म सर्वेक्षण नमूनों और 203 प्रायोगिक कॉफी नमूनों को शामिल कर कुल 254 नमूनों को ओक्राटाक्सिन - ए तत्व के लिए जाँचा गया।

विस्तरण

(क) परंपरागत क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान बोर्ड के विस्तरण अधिकारियों ने 21,946 कॉफी फार्मों का संदर्शन किया, विभिन्न कॉफी तकनीकों पर 4,842 क्षेत्र प्रदर्शनी आयोजित किए, उपजकर्त्ताओं को 2,154 सलाहकारी पत्र जारी किए, कॉफी कर्षण पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने हेतु 200 से भी अधिक सम्मेलन / कार्याशालाएं आयोजित किए ।
- ❖ समुदाय पहुँच के जरिए उत्पादन / क्वालिटी को बढ़ाने हेतु 42 स्वयं सहायता समूह तथा 401 लघु स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई।
- ❖ 10 वीं योजना की शेष अवधि के लिए वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध छोटे तथा बडे उपजकर्त्ताओं के लिए कार्य पूँजी ऋण पर क्रमश: 5% तथा 3% ब्याज उपदान देने हेतु बोर्ड के प्रस्ताव को विशेष कॉफी पैकेज के अंग के रूप में अनुमोदन हेतु सरकार को भेजा गया है, जिसे बाद में 8-06-2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई।
- ❖ बोर्ड ने, छोटे उपजकर्त्ता सेक्टर के लिए योजना स्कीम का कार्यान्वयन किया जिसके तहत छोटे उपजकर्त्ताओं को जल आवर्धन के लिए 25% उपदान, गुणत्व उन्नयन, पुनर्रोपण एवं प्रदूषण उपशमन के लिए 20% उपदान दिए गए । वर्ष के दौरान 5355 हेक्टर क्षेत्र में व्याप्त 1447 लाभानुभोगियों को 2.31 करोड़ रूपए संवितरित किए गए।
- ❖ बोर्ड के विस्तरण इकाईयों के जरिए 3844.5 कि ग्रा बीज कॉफी, 3,315 कि ग्रा अरेबिका तथा 529.5 कि ग्रा रोबस्टा को शामिल कर उपजकर्त्ताओं को कॉफी जोतों की भराई, नए रोपण तथा पुनर्रोपण हेतु किया गया।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा गैर - परम्परागत क्षेत्र -

1 पूर्वोत्तर क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान विस्तरण स्कन्ध ने 205 समूह जमावों का आयोजन किया, विभिन्न कॉफी कर्षण तकनीकों पर 500 से अधिक विधि प्रदर्शनियाँ की तथा 6 "किसान भागीदारी विधि कार्यक्रम" का आयोजन किया। 509 उपजकर्त्ताओं तथा अन्य एजेन्सियों को 1807 कि ग्रा अरेबिका और 362 कि ग्रा रोबस्टा को शामिल कर कुल 2169 कि ग्रा बीज कॉफी का संवितरण किया ।
- ❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास के अन्तर्गत 1568.45 हे से अधिक क्षेत्र के लिए विस्तारण और समेकन हेतु उपदान दिए गए जिससे 1610 उपजकर्त्ता लाभान्वित हुए।

- ❖ बाजार समर्थन स्कीम के अन्तर्गत 162 टन कॉफी को मुहैय्या कर नीलाम किया गया।

2 **गैर - परम्परागत क्षेत्र - आन्ध्र प्रदेश व उडीसा :**

- ❖ आन्ध्र प्रदेश तथा उडीसा के जनजाति उपजकर्त्ताओं और एजेन्सियों को 5866.50 कि ग्रा से भी आधिक बीज कॉफी वितरित किए गए। एकीकृत आदिवासी विकास एजेन्सी (आई टी डी ए) की वित्तीय सहायता से समुदाय तथा पिछाडी नर्सरियों के जरिए 144 लाख कॉफी पौद भी उगाए गए जिसके लिए बोर्ड ने तकनीकी सहायता प्रदान किया।
- ❖ राज्य सरकार / आई टी डी ए के 1373 जनजाति मजदूरों को विभिन्न कॉफी कर्षण तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया ।
- ❖ कॉफी उपजने वाले 10 गाँवों में 28 किसान भागीदारी विधि कार्यशाला का आयोजन किया गया जिससे 292 जनजाति उपजकर्त्ता लाभान्वित हुए ।
- ❖ गै पा क्षे में कॉफी विकास योजना के अन्तर्गत 52.3 लाख रू के लागत पर 1,696 उपजकर्त्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए।

प्रोन्नति

- ❖ बोर्ड ने वर्ष के दौरान भारतीय कॉफी को प्रोन्नत करने के लिए यू एस ए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, सिंगापुर, स्पेन, ग्रीस तथा जापान जैसे देशों में 10 समुद्रपारीय व्यापार मेलों में भाग लिया ।
- ❖ बोर्ड ने प्रत्यक्ष बाजार सर्विस फर्म की सहायता से भारतीय कॉफी के बारे में जागरूकता प्रोन्नत करने के लिए प्रमुख बाजारों में संचार शुरू किया ।
- ❖ बोर्ड ने वर्ष के दौरान कुन्नूर, कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली, चण्डीगढ़, क्विलान, बैंगलूर, कलपेटा और सिलिगुडी जैसे स्थानों में 11 आन्तरिक प्रदर्शनियों में भाग लिया।
- ❖ वर्ष के दौरान इण्डियन कॉफी पत्रिका को चार भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, कन्नड, तमिल व मलयालम में रिलीज़ किया गया। पत्रिका के अंग्रेजी संस्करण में हिन्दी भाषा में एक खण्ड भी जोडा गया है।
- ❖ भारतीय कॉफी उद्योग पर मूल्यवान सूचना देते हुए कॉफी इयर बुक 2005 प्रकाशित किया गया।
- ❖ देश के विभिन्न स्थानों में स्थित 3 इण्डियन कॉफी डिपो तथा 10 इण्डियन कॉफी हाउस में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध कॉफी पाउडर तथा तरल कॉफी सप्लाई किए गए ।
- ❖ वर्ष के दौरान सम्बन्धित निर्यातों के विकास पर विचार विमर्श करने हेतु निर्यातकों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की गई । देश के सर्वोत्तम निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया ।

बाजार इंटलिजेन्स

- ❖ बोर्ड के बाजार इंटेलिजेंस इकाई ने उद्योग के विभिन्न खण्डों एवं सरकार को मूल्य, आपूर्ती, मांग एवं अन्य मूलभूत एवं तकनीकी घटकों के बारे में दैनिक बाजार सूचना उपलब्ध कराना जारी रखा जो बाजार विश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं ।
- ❖ वर्ष 2004-05 के लिए फसल प्रागुक्ति का कार्य जारी रखा और समय समय पर फसल प्राक्कलन प्रकाशित किया।
- ❖ सरकार से मूल्य स्थिरीकरण निधि के कार्यान्वयन को समन्वित किया ।
- ❖ भारत सरकार के एम ए आई योजना के अन्तर्गत कॉफी निर्यातक देशों की विधा संभार तंत्र एवं लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर अध्ययन का समन्वयन किया।

क्वालिटी

- ❖ उद्योग के विभिन्न खण्डों से प्राप्त 1075 कॉफी नमूनों को दार्ष्रिक एवं कप क्वालिटी पेरामीटर हेतु

मूल्यांकन कर सलाहकारी नोट के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट भेजा गया ।

❖ कॉफी क्वालिटी प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सात विद्यार्थियों के तीसरे बैच ने मई 2004 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण को पूरा किया। चौथे बैच के लिए प्रवेश को पूरा कर लिया गया है और पाठ्यक्रम के लिए छः विद्यार्थियों का चयन किया गया है ।

❖ भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित 12 कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 159 कार्मिकों को कॉफी भुनाई और ब्रूइंग विधि पर प्रशिक्षण दिया गया।

❖ 'फ्लेवर ऑफ इण्डिया - द फाइन कप अवार्ड कप्पिंग प्रतियोगिता 2004' का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया और इसका फाइनल ट्रियस्टी, इटली में आयोजित हुआ तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा सर्वोत्तम कॉफी निर्णीत किया गया ।

❖ वर्ष के दौरान तीन क्वालिटी प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यायित किया गाया।

❖ "धुली रोबस्टा पर मार्गदर्शन" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित किया ।

❖ एफ ए ओ परियोजना के अन्तर्गत एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया अर्थात एस्टेट स्तर पर अनुशंसित व्यवहार को अपनाते हुए सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु फफूँदी बनने से रोकने के जरिए कॉफी क्वालिटी को बढ़ाना ।

❖ विभिन्न कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों के विभिन्न श्रेणियों को शामिल कर कुल 54 कॉफी नमूनों को कैफीन हेतु और 100 नमूनों को फल के घनत्व और वजन पैरामीटर के लिए विश्लेषित किया गया ।

❖ बोर्ड के साथ साथ उद्योग के कुल 54 माईश्चर मीटर को अनुसंशोधित किया गया।

प्रशासन

❖ वर्ष के दौरान 3 बोर्ड की बैठक, कार्यकारी समिति, विपणन समिति, क्वालिटी समिति प्रत्येक की 3 बैठकें, अनुसन्धान समिति तथा लेखा परीक्षा समिति प्रत्येक की 4 बैठकें, प्रचार समिति की 2 बैठकें और विकास समिति तथा क्षेत्रीय समिति प्रत्येक की एक बैठक आयोजित की गई ।

❖ 31.3.2005 को यथास्थिति बोर्ड में वर्त्तमान स्टाफ संख्या 1065 है जिसमें 83 वर्ग 'क' अधिकारी, 81 वर्ग 'ख' अधिकारी, 577 वर्ग 'ग' कर्मचारी और 324 वर्ग 'घ' कर्मचारी शामिल हैं ।

❖ कॉफी फार्म तथा क्यूरिंग वर्कस में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शैक्षणिक वृत्ति और सराहनीय पुरस्कार, फर्नीचर, पुस्तक, प्रयोगशाला सामग्री की खरीद हेतु दान और कॉफी बागान क्षोत्रों में स्थित स्कूलों के छोटे निर्माण हेतु एवं श्रम कल्याण के लिए 38,83,279 रू का वितरण किया गया।

❖ वर्ष के दौरान गृह निर्माण अग्रिम के रूप में कर्मचारियों को 29,73,355 रू प्रदान किया गया। अवधि के दौरान बोर्ड ने सवारी खरीद अग्रिम के रूप में 7,61,480 रू भी प्रदान किया ।

लेखा एवं वित्त

❖ बोर्ड को वर्ष 2004-05 के लिए 50 करोड रू का योजना निधि आबंटन प्राप्र हुआ जिसमें 30.70 करोड रू अनुदान और 19.30 करोड रू उपदान शामिल है (उ पू क्षे आबंटन को शामिल कर)। वर्ष के लिए बोर्ड को 13.00 करोड रू का गैर योजना आबंटन प्राप्त हुआ । वर्ष के दौरान योजना अनुदान के तहत 28.10 करोड रू की राशि का उपयोग किया गया और 8.91 करोड रू उपदान के तहत उपयोग किया गया । गैर योजना में आबंटित पूरे 13 करोड रू का उपयोग हो गया।

अध्याय - II

बोर्ड का गठन एवं कार्य

कॉफी बोर्ड भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन संसद के अधिनियम (1942) द्वारा हुआ है ।

बौर्ड का गठन कॉफी नियम 1995 के नियम 3 के साथ पठित कॉफी आधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत उपबंधित रूप में केन्द्रिय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष तथा विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 32 सदस्यों से हुआ है । विभिन्न हितों में बोर्ड के सदस्यों की व्यवस्था निम्नानुसार हुई है :

1	अध्यक्ष : (केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किन्तु किसी विशेष हित का प्रतिनिधित्व) नहीं करते	1
2	सांसद (लोक सभा -2; राज्य सभा -1)	3
3	प्रमुख कॉफी उपजकर्त्ता राज्यों अर्थात कर्नाटक, केरल, तमिल नाडू तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकार से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि	4
4	प्रमुख कॉफी उपजकर्त्ता राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की सरकार अर्थात मिज़ोरम एवं उड़ीसा के प्रतिनिधि	2
5	बड़े कॉफी उपजकर्त्ता के प्रतिनिधि	3
6	छोटे कॉफी उपजकर्त्ता के प्रतिनिधि	7
7	कॉफी व्यापार हित के प्रतिनिधि	3
8	कॉफी संसाधन प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि	2
9	श्रमिक हित के प्रतिनिधि	4
10	उपभोक्ता हित के प्रतिनिधि	2
11	इन्स्टेंट कॉफी विनिर्माता के प्रतिनिधि	1
12	कॉफी के अनुसंधान / विपणन / प्रबन्धन / संवर्धन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति	1
	योग :	33

23-4-2003 को बोर्ड को तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया ।

वर्ष 2004-05 के दौरान बोर्ड के सदस्य

सुश्री लक्ष्मी वेंकटाचलम, आई ए एस 1-04-2004 से 31-3-2005 तक की अवधि के दौरान बोर्ड की अध्यक्षा तथा समितियों की पदेन अध्यक्ष रहीं।

I कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (1) के अधीन नियुक्त सांसद (2) लोक सभा से और (1) राज्य सभा से

01. श्री डी वी सदानन्द गौडा
लोक सभा सदस्य

02. श्री के सी पलनी स्वामी
लोक सभा सदस्य

03. श्रीमती प्रेमा कारियप्पा
राज्य सभा सदस्य

II कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (क) के अधीन नियुक्त प्रमुख कॉफी उपजाने वाले राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

04. श्री एन सी मुनियप्पा, आई ए एस
(29.11.2004 तक)
श्री शांतनु कोन्सल, आई ए एस
(30.11.2004 से) प्रधान सचिव,
कृषि व उद्यान विज्ञान विभाग
कर्नाटक सरकार

05. श्री सी रामाचंद्रन, आई ए एस
कृषि उत्पादन आयुक्त
कृषि विभाग
केरल सरकार

06. डॉ आर कण्णन, आई ए एस
(20.6.2004 तक)
श्री पी भास्करदास, आई ए एस
(21.06.2004 से)
कृषि उत्पादन आयुक्त व सचिव,
कृषि विभाग,
तमिल नाडु सरकार

07. डॉ वी पी जौहरी, आई ए एस
(16.8.2004 तक)
श्री बीर सिंह परशिरा, आई ए एस
(17.8.2004 से) कृषि उत्पादन
आयुक्त व प्रधान सचिव,
कृषि व सहकारित समिति विभाग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार

III कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ख) के अधीन नियुक्त बडे कॉफी उपजकर्त्ता के प्रतिनिधि

08. श्री के आर केशवा
मुडिगेरे तालुक, चिक्कमगलूर जिला
कर्नाटक

09. श्री के बी चन्द्रू
सकलेशपुर तालूक, हासन जिला
कर्नाटक

10. श्री एस के सौन्दरपाण्डियन
दिंडिगल जिला, तमिल नाडु

IV	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ख) के अधीन नियुक्त छोटे कॉफी उपजकर्त्ताओं के प्रतिनिधि**		
11.	श्री के वी मंजुनाथ, कोडगु जिला कर्नाटक	12.	श्री बी डी मंजुनाथ, कोडगु जिला, कर्नाटक
13.	श्री एच पी जगदीशा, आलूर तालूक, हासन जिला कर्नाटक	14.	श्री ए एस दिवाकर, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक
15.	श्री पी सी मोहनन मास्टर, वायनाड जिला, केरल	16.	श्री कुरुसा बोञय्या, विशाखापट्टनम जिला, आन्ध्र प्रदेश
17.	श्री अन्नामलै आर मुरुगेशन, नीलगिरीस जिला, तमिल नाडु		
V.	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त कॉफी व्यापार हितों के प्रतिनिधि**		
18.	श्री मोहमद हमीद अशरफ, एम डी मेसर्स टाटा कॉफी लि, बैंगलूर	19.	श्री गौतम सरकार मेसर्स हिंदुस्तान लीवर लि, बैंगलूर
20.	श्री डी के उदयशंकर मूडीगेरे, चिकमगलूर जिला कर्नाटक		
VI.	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त संसाधन स्थापनाओं के प्रतिनिधि**		
21.	श्री सी पी जेमसी पोन्नप्पा आई टी एच सी - कुशालनगर कोडगु जिला, कर्नाटक	22.	श्री कुमार जे पाण्डियन मेसर्स पाण्डियन कॉफी क्यूरिंग वर्क्स प्रा लि तेनी जिला, तमिल नाडू
VII	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त श्रम हितों के प्रतिनिधि**		
23.	श्री के गुणशेखरन महा सचिव-ए आई टी यू सी, युनाईटेड प्लान्टेशन वर्कर्स यूनियन, चिकमगलूर, कर्नाटक	24.	श्री उमेश चन्द्र, मंगलूर, कर्नाटक
25.	श्री के ए अशोकन वायनाड जिला केरल	26.	श्री वी के राजू महा सचिव, नीलगिरीज़ जिला एस्टेट वर्कर्स यूनीयन, कून्नूर, नीलगीरीस जिला, तमिल नाडू

VIII	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त प्रमुख कॉफी उपजाने वाले राज्यों के अलावा कॉफी उपजाने वाले राज्यों के प्रतिनिधि**		
27.	श्री कुमार अर्क केशरी देव कालाहण्डी जिला उड़ीसा राज्य	28.	श्री एन बालचन्द्रन, आई ए एस सचिव, मिज़ोरम सरकार मिट्टी व जल संरक्षण विभाग आइज़वाल, मिजोरम
IX.	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त कॉफी उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि**		
29.	श्री रवि एस ढ्योल प्रबंध निदेशक मेसर्स बारिस्टा कॉफी कं लिमिटेड नई दिल्ली –110 016.	30.	श्रीमती के एस सौम्या (सौंदर्या) 17.04.2004 को निधन **(तब से रिक्त)**
X.	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त इन्स्टेंट कॉफी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि**		
31.	श्री रंजीत राज कार्यकारी उपाध्यक्ष मेसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड, गुडगाँव, हरियाणा		
XI	**कॉफी नियम 1955 के नियम 3 (2) (ग) के अधीन नियुक्त जाना माना व्यक्तित्व**		
32.	डॉ प्रेमनाथ पुंजा ग्लेनमोर एस्टेट, मडिकेरी कोडगू जिला, कर्नाटक		

लक्ष्य

अनुसन्धान आयोजित करने में अग्रणी के रूप में कार्य करना तथा उत्पादन, उत्पादकता और गुणता को सुधारने हेतु विस्तरण सहयोग देना, निर्यातों तथा घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोन्नतीय प्रयास करना, उद्योग से सम्बन्धित सांख्यिकीय तथा अन्य सम्बद्ध आँकडे इकट्टा करना तथा उद्योग के विभिन्न खण्डों को सूचना का विकीर्णन करना, सरकार, मीडिया, व्यापार तथा साधारण जनता में कॉफी उद्योग की ओर से मान्यताप्राप्त अधिवक्ता के रूप में कार्य करना और देश में कॉफी उद्योग के सम्पूर्ण बढ़त और विकास हेतु मार्गदर्शन करना ।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी फोरम अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी विज्ञान संगठनों, स्पेशियालिटी कॉफी संगठनों में भारतीय कॉफी उद्योग का प्रतिनिधित्व करना और कॉफी उद्योग के लाभ हेतु उनके साथ काम करना ।

उद्देश्य

- ❖ उचित कॉफी किस्मों के विकास तथा सुधरे उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणता प्राप्त करने हेतु अभ्यासों के पैकेज हेतु कॉफी पर संकेन्द्रित अनुसन्धान करना।
- ❖ देश भर में फैले विस्तरण नेटवर्क के जरिए प्रयोगशाला से जमीन तक तकनीक के अन्तरण को लेना ।
- ❖ पुनर्रोपण, नए रोपण तथा क्वालिटी उन्नयन जैसे विकास योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- ❖ समुद्रपारीय व्यापार,मेलों में भाग लेने, भारतीय कॉफी ट्रेक्टों में भुनाईकार प्रतिनिधियों का संदर्शन आयोजित करना तथा कप्पिंग सत्रों जैसे निर्यात प्रोन्नति कारवाई करना ।
- ❖ घरेलू उपभोग को बढ़ाने हेतु प्राइवेट सेक्टर के साथ घरेलू प्रोन्नति प्रयास करना।
- ❖ उद्योग के सभी पहलुओं पर डेटा बेस की स्थापना और विकास करना।
- ❖ उद्योग के विभिन्न खण्डों को नियमित आधार पर बाजार सूचना का विकीर्णन करना
- ❖ सरकार तथा स्वयं नियत उद्योग को नीति निर्माण सलाह देना ।
- ❖ संकटकाल में रोपकों को आवश्यक सहायता देना और आवश्यक श्रम कल्याण उपाय करना।
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जिसका उद्देश्य उद्योग के विभिन्न खण्डों का विकास और योग्य चषक स्वादक देना।
- ❖ कॉफी क्वालिटी के सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाना ।

सांविधिक समितियाँ

बोर्ड अपने छः सांविधिक समितियों (प्रत्येक एक वर्ष के लिए नियुक्त) के जरिए काम करता है । समिति तथा अधिनियम के अनुसार उनके कार्य निम्नानुसार हैं :

कार्यकारी समिति

- ❖ बोर्ड द्वारा संगठित प्रचार, विपणन, अनुसन्धान या किसी अन्य समिति को विशेषतया निर्दिष्ट नहीं किए गए विषयों के सम्बन्ध में बोर्ड के अन्य कार्यों को करना ।

प्रचार समिति

- ❖ भारत में उत्पादित कॉफी का भारत में तथा अन्यत्र बिक्री तथा उपभोग को बढ़ाने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में बोर्ड के सभी कार्यों को करना ।

विपणन समिति

- ❖ कॉफी अधिनियम तथा नियम में निर्धारित कॉफी विपणन के सम्बन्ध में बोर्ड के सभी कार्यों को करना।

अनुसंधान समिति

- ❖ भारत में कॉफी उद्योग के हित में कृषि एवं तकनीकी अनुसन्धान की प्रोन्नति के सम्बन्ध में बोर्ड के सभी कार्यों को करना।

विकास समिति

- ❖ कॉफी एस्टेटों के छोटे जोतों के विकास हेतु किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में बोर्ड के सभी कार्यों को करना ।

क्वालिटी समिति

- ❖ भारत में उत्पादित कॉफी की क्वालिटी में सुधार के सम्बन्ध में बोर्ड के सभी कार्यों को करना ।

गैर सांविधिक समितियाँ

- बोर्ड निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए गैर-सांविधिक समितियाँ जैसे क्षेत्रीय समिति तथा लेखा परीक्षा समिति को भी नियुक्त करता है ।

क्षेत्रीय समिति

- कॉफी एस्टेटों तथा कॉफी संसाधन स्थापनों में काम करने वाले मजदूर के बच्चों / आश्रितों को निम्नलिखित लाभ देना
- एस.एस.एल.सी के बाद उच्च अध्ययन अर्थात पोलिटेक्नीक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण/ पी.यू.सी/ डिग्री पाठ्यक्रम लेकर पढ़ने वालों के लिए शैक्षणिक वृत्ति प्रदान करना ।
- एस.एस.एल.सी/समकक्ष मेट्रिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वालों को सराहनीय पुरस्कार देना ।
- उन लडकियों के लिए आगे पढ़ने हेतु वित्तीय सहायता देना जिन्होंने सातावीं के बाद पढ़ाई छोड दी हो ।
- कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में क्लास रूम के निर्माण, फर्नीचर की खरीद , प्रयोगशाला उपस्कर, लाइब्रेरी पुस्तकें तथा खेल सामग्री की खरीद के लिए दान देना ।
- क्षेत्रीय समिति में बोर्ड के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में, उपजकर्त्ता सदस्य और पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों से श्रम सदस्य शामिल हैं ।

लेखा परीक्षा समिति

- वार्षिक लेखों से सम्बन्धित विषयों को देखना और लेखों पर लेखा परीक्षा आपत्ति की स्थिति का अध्ययन करना ।
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष तथा बोर्ड के तीन अन्य सदस्य शामिल हैं ।

कॉफी बोर्ड ने 01.04.2004 से 31.3.2005 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित बोर्ड तथा सांविधिक समिति की बैठकों का आयोजन किया -

क) बोर्ड की बैठकें
1. 28.05.2004 को 173 वीं बैठक
2. 06.12.2004 को 174 वीं बैठक
3. 30.03.2005 को 175 वीं बैठक

ख) कार्यकारी समिति की बैठकें
1. 16.04.2004 को 161 वीं बैठक
2. 29.10.2004 को 162 वीं बैठक
3. 24.02.2005 को 163 वीं बैठक

ग) प्रचार समिति की बैठकें
1. 15.07.2004 को 147 वीं बैठक
2. 14.02.2005 को 148 वीं बैठक

घ) विपणन समिति की बैठकें
1. 28.05.2004 को 293 वीं बैठक
2. 29.10.2004 को 294 वीं बैठक
3. 30.03.2005 को 295 वीं बैठक

ड.) अनुसंधान समिति की बैठकें
1. 03.05.2004 को 135 वीं बैठक
2. 28.08.2004 को 136 वीं बैठक
3. 07.12.2004 को 137 वीं बैठक
4. 14.02.2005 को 138 वीं बैठक

च) विकास समिति की बैठकें
1. 20.08.2004 को 76 वीं बैठक

छ) क्वालिटी समिति की बैठकें
1. 15.07.2004 को 83 वीं बैठक
2. 06.12.2004 को 84 वीं बैठक
3. 30.03.2005 को 85 वीं बैठक

ज) क्षेत्रीय समिति की बैठकें
1. 15.02.2005 को बैठक आयोजित की गई

झ) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें
1. 16.04.2004 को बैठक हुई
2. 15.07.2004 को बैठक हुई
3. 16.12.2004 को बैठक हुई
4. 15.02.2005 को बैठक हुई

अध्याय III

प्रशासन एवं स्थापना

कॉफी बोर्ड (1948 तक जिसे भारतीय बाजार विस्तार बोर्ड कहा जाता था) भारतीय कॉफी उपकर समिति की परम्परागत परवर्ती संस्था है जो भारतीय कॉफी उद्योग का प्रथम सांविधित अखिल भारतीय संगठन है। केन्द्रीय सरकार ने उद्योग के सुधार के लिए कॉफी के सभी हितों द्वारा एकमत से संगठन के लिए और उनकी अपनी निधि के लिए अनुरोध किए जाने पर उसका गठन किया । 1942 के कॉफी अधिनियम (1942 के अधिनियम) के अन्तर्गत कॉफी बोर्ड एक सांविधित निकाय है जिसका निरन्तर उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा है और उसे सम्पत्ति प्राप्त करने और उसको अपने पास रखने, संविदा करने, मुकदमा चलाने और मुकदमा चलवाए जाने का अधिकार है ।

अध्यक्षा

सुश्री लक्ष्मी वेंकटाचलम, आई.ए.एस 01.4.2004 से 31.3.2005 तक की अवधि के दौरान अध्यक्षा रहीं ।

विभागाध्यक्ष

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विभागाध्यक्ष उनके नाम के आगे दर्शाए पदों पर बने रहे

1. श्री जयनरसिंहराज, आई.एफ.एस, सचिव (31.01.2005 को कार्यभार सम्भाला)
2. श्रीमती शंकरी मुरली, आई.सी.ए.एस, वित्त निदेशक (01.04.2004 से 30.01.2005 तक सचिव का अतिरिक्त भार भी सम्भाला)
3. श्री ए.शाहजहाँ, प्रोन्नति निदेशक
4. डॉ आर.नायडू, अनुसन्धान निदेशक (30.6.2004 को सेवा निवृत्त)

   डॉ जयरामा, अनुसन्धान निदेशक (10.09.2004 को कार्यभार सम्भाला)

उसके स्कन्धों को शामिल कर प्रत्येक विभाग को दिए गए उत्तरदायित्व निम्नानुसार है -

1. सचिवालय विभाग :

सचिवालय विभाग सभी स्टाफ सम्बन्धी विषयों और कार्यालय स्थापना विषयों को देखता है। यह बोर्ड तथा सांविधिक समितियों की बैठकें आयोजित करने, बागान मजदूरों के बच्चों के लाभ हेतु श्रम कल्याण उपाय के अन्तर्गत आबंटित निधियों का प्रशासन करने तथा बागान क्षेत्रों आदि में अस्पतालों के निर्माण/ अनुरक्षण हेतु निधियों का आबंटन करने का कार्य भी देखता है ।

सचिवालय विभाग के निम्नलिखित स्कन्ध हैं -

क) प्रशासन स्कन्ध (ख) राजभाषा स्कन्ध (ग) कानूनी कोष्ठ (घ) इंजीनियरिंग प्रभाग (ड.) सतर्कता प्रभाग

2. अनुसन्धान विभाग

अनुसन्धान विभाग पौधा संकरण में अनुसन्धान, कर्षण कार्य तथा रोपण समुदाय को सलाहकारी सेवा प्रदान करने का काम करता है। अनुसन्धान विभाग के कार्मिक सम्बन्धित विषय में वैज्ञानिक अधिकारी होते हैं ।

विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला तथा क्वालिटी प्रभाग अनुसन्धान विभाग के अन्य स्कन्ध हैं।

3. विस्तरण तथा विकास विभाग

विस्तरण विभाग अनुसन्धान समुदाय तथा कॉफी उपजकर्त्ताओं के बीच दृढ़ता लाते हुए कॉफी विकसन के योजना में निर्धारित उद्देश्य में उत्पादन/उत्पादकता के स्तर को सुधारने तथा कॉफी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उपजकर्त्ताओं को अनुसन्धान वैज्ञानिकों द्वारा मानकीकृत कॉफी तकनीकों पर फोकस करता है । यह कॉफी कर्षण के विभिन्न पहलुओं पर भी उपजकर्त्ताओं को सहायता प्रदान करता है।

4. प्रोन्नति विभाग

कॉफी बोर्ड का प्रोन्नति विभाग विभिन्न उपायों के जरिए भारत तथा विदेशों में कॉफी को प्रोन्नत करने के लिए कार्य करता है । प्रोन्नति विभाग के निम्नलिखित स्कन्ध हैं। (क) बाजार प्रोन्नति अनुभाग (ख) इंडियन कॉफी अनुभाग

5. निर्यात व विपणन

बोर्ड निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में कॉफी उद्योग के दक्ष प्रबन्धक की भूमिका पर फोकस करता है ।

विपणन विभाग के निम्नलिखित स्कन्ध हैं। (क) निर्यात अनुभाग (ख) सामान्य अनुभाग (ग) बाजार इन्टेलिजन्स इकाई

6. लेखा एवं वित्त

लेखा विभाग बोर्ड के निधि के प्रशासन/आबंटन का प्रभारी है ।

लेखा एवं वित्त विभाग के निम्नलिखित स्कन्ध हैं (क) योजना निधि लेखा (ख) गैर योजना निधि लेखा (ग) बजट अनुभाग (घ) आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी (ड.) विकास लेखा (च) पेंशन अनुभाग (छ) पूल निधि लेखा ।

कर्मचारी कल्याण उपाय

(क) गृह निर्माण पेशगी

कॉफी नियमावली 1955 के नियम 31 (4 क) के अनुसार रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण पेशगी के रूप में 29,73,355/-रू स्वीकृत किया है ।

(ख) सवारी गाडी खरीद पेशगी

कॉफी नियमावली 1955 के नियम 31 (4 ख) के अनुसार रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को सवारी खरीद के लिए 7,61,480/- रू स्वीकृत किया है ।

(ग) कम्प्यूटर खरीद पेशगी

कॉफी नियमावली 1955 के नियम 31 (4 ख) के अनुसार रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को वैयक्तिक कम्प्यूटर पेशगी के रूप में 4,06,250/- रू स्वीकृत किया है ।

घ) सामूहिक बचत सहबद्ध बीमा योजना :

बोर्ड में 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' वर्ग से 1033 कर्मचारी सा.ब.स.बी. के सदस्य थे ।

सेवा निवृत्ति/इस्तीफा/पदच्युति/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदि के कारण योजना के अन्तर्गत निपटाए गए दावों के विवरण के साथ सा.ब.स.बी योजना के अन्तर्गत सदस्यों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं	कुल सदस्य		अवधि के दौरान दावे	
	वर्ग	कर्मचारियों की सं	दावों की सं	निपटाई गई राशि (रू में)
1.	'क'	78	01	1,55,385/-
2.	'ख'	114*	05	1,35,668/-
3.	'ग'	524	03	14,821/-
4.	'घ'	317	04	40,461/-
	योग	**1033**	**13**	**3,46,335/-**

* इसमें 44 वर्ग 'ख' (अराजपत्रित) कर्मचारी शामिल हैं ।

31.3.2005 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड की कुल स्टाफ संख्या

कुल स्टाफ संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिला स्टाफ तथा उनके प्रतिशत के विवरण सहित बोर्ड की (वर्गवार) स्टाफ संख्या निम्नानुसार है

क्र.सं	योग		अ.जा/अ.ज.जा				महिला	
	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	अ.जा	अ.ज.जा	कुल का %		संख्या	कुल का %
					अ.जा	अ.ज.जा		
1.	'क'	83	10	2	12.04	2.40	8	9.63
2.	'ख'	81	20	8	24.69	9.87	8	9.87
3.	'ग'	577	100	34	17.33	5.89	97	16.81
4.	'घ'	324	62	12	19.13	3.70	30	9.25
	योग	**1065**	**192**	**56**	**18.02**	**5.25**	**143**	**13.42**

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में विवरण

मितव्यय उपायों के कारण वर्ष 2004-05 के दौरान लिपिक वर्गीय काडर में कोई सीधी भर्त्ती नहीं हुई । अत: वर्ष के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भर्त्ती नहीं किया गया ।

बोर्ड में कार्यरत शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का (काडरवार) उनके प्रतिशत के साथ विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं	काडर	योग	वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी		श्रेणीवार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी		
				सं	कुल का%	अना	अ.जा	अ.ज.जा
1.	प्रधान लिपिक		'ग'	3		3	-	-
2.	वरिष्ठ लिपिक		'ग'	7		6	1	-
3.	कनिष्ठ लिपिक		'ग'	1		1	-	-
	वर्ग 'ग' का योग	577		11	1.90			
4.	वर्ग 'घ'	324		2	0.61	2	-	-
	योग			**13**		**12**	**1**	**-**

श्रम कल्याण उपाय :

कॉफी बागान/एस्टेट व कॉफी संसाधन कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षणिक वृत्ति तथा योग्यता पुरस्कार और कॉफी बागान क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के लिए फर्नीचर, किताबें, प्रयोगशाला उपस्कर की खरीद तथा छोटे मोटे निर्माण आदि के लिए कॉफी बोर्ड ने श्रम कल्याण उपाय के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के लिए 38,83,279/- रू की राशि का अनुदान दिया ।

शैक्षणिक वृत्ति/योग्यता पुरस्कार, वित्तीय सहायता एवं अनुदानों के प्रति संवितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या	राशि(रू में)
1.	शैक्षणिक वृत्ति	1098	13,17,600/-
2.	योग्यता पुरस्कार	760	11,40,000/-
3.	वित्तीय सहायता	01	1,000/-
4.	दान	79	14,24,679/-
	योग	**1938**	**38,83,279/-**

राजभाषा स्कंध

अपने विद्यमान कर्मचारियों के साथ कॉफी बोर्ड के राजभाषा स्कंध ने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निदेशों पर काम करना जारी रखा । राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्र के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कॉफी बोर्ड 'ग' क्षेत्र में स्थित होने के कारण राजभाषा स्कंध 2004-05 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयत्नशील रहा है ।

चिकमगलूर जिला के केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान में और कें.कॉ.अ.सं, चिकमगलूर के उप कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना का एक अंशकालिक केंद्र कार्यरत है।

राजभाषा स्कंध ने मंत्रालय और क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित सभी कार्यालयों के साथ पत्राचार को निर्धारित द्विभाषिक फार्म के साथ किया। हिंदी में प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर हिंदी में भेजे जाते हैं। कॉफी के मूल्य से संबंधित दैनिक रिपोर्ट को द्विभाषिक रूप में भेजा जा रहा है ।

अधिकारी और कर्मचारियों को मूल काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना को पुन: जारी किया गया है । इस योजना के अनुसार दैनिक सरकारी पत्राचार जैसे फाइल में 1000-5000 हिंदी के शब्द लिखने पर 100/- रू से 500/- रू और आशुलिपिक और टंककों को 150 पृष्ठ हिंदी में टाइप करने पर 500/- रू दिए जाते हैं ।

भारतीय स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ की संस्मृति में आरम्भ की गई रोलिंग शील्ड के लिए 11 अगस्त 2004 को एक अंतर कार्यालयीन भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विभिन्न संगठनों से 32 कर्मचारी भाग लिये और विजेताओं को हिंदी दिवस के दिन पुरस्कार दिए गए ।

2004 में हिंदी प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए बोर्ड ने मुख्य कार्यालय, बेंगलूर में अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाने हेतु विभागीय व्यवस्था की है, 16 कर्मचारियों ने प्रस्तुत व्यवस्था के अधीन प्रशिक्षण लिया और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया ।

14 सितबर 2004 को हिंदी दिवस मनाया गया और उसके पहले के दो सप्ताह को हिंदी पखवाडा के तौर पर मनाया गया। उसी अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार दिया गया ।

बोर्ड ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में संयुक्त हिंदी दिवस मनाने में सक्रिय रूप से भाग लिया है ।

मुख्य कार्यालय में बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए 31,696 रू की हिंदी पुस्तकें खरीदकर पुस्तकालय में रखा गया है । बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों को हिंदी सीखना सरल बनाने के लिए और हिंदी को कम्प्यूटर के माध्यम से सीखने के लिए लीला प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ के साफ्टवेयर को खरीदा गया है ।

कार्यालय पत्रिका 'सुरभि' को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। 'इंडियन कॉफी' के मासिक पत्रिका में एक लेख का अनुवाद हिंदी में किया जा रहा है ।

'इंडियन कॉफी' त्रैमासिक वार्ता पत्र हिंदी में प्रकाशित हो रहा है ।

बोर्ड के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तीन माह में एक बार और हिंदी कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित की जा रही है ।

सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग निम्नलिखित कार्यों को निभाता है-

1. शिकायतें दर्ज कर कार्रवाई करना
2. बोर्ड में वर्ग 'क' तथा 'ख' पदों पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन
3. चल/अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदनों को साधित करना तथा वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' अधिकारियों के अचल सम्पत्ति लाभों की संवीक्षा करना ।
4. मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रेषित मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना।

वर्ष 2004-05 के शुरूआत में 8 सतर्कता मामले थे और वर्ष के दौरान 2 नए मामले प्राप्त हुए । कुल 10 मामलों में से एक मामले को अवधि के दौरान निपटाया गया और शेष 9 मामलें अवधि के अन्त तक निपटाने हेतु बकाया थे ।

3 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक देशभर में स्थित कॉफी बोर्ड के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

कानूनी प्रकोष्ठ (सचिवालय विभाग)

कानूनी प्रकोष्ठ विभिन्न राज्यों के श्रम, सिविल तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष लम्बित भिन्न न्यायालय/मुकदमेबाजी से सम्बन्धित कार्यों के साथ समन्वय करता है, जहाँ कॉफी बोर्ड को एक निगमित निकाय के रूप में मुकदमेबाजी का पार्टी बनाया जाता है । कॉफी बोर्ड के विरूद्ध या उसके द्वारा दायर मामलों के मुख्य श्रेणी निम्नानुसार है ।

अदालती मामलों/मुकदमेबाजी में (1) बोर्ड के कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारियों के 50 सेवा मामले (2) बोर्ड के विपणन विभाग के 11 मामले (3) क्रय कर से संबंधित 49 मामलों को कोष्ठ ने इस अवधि में निपटाया ।

कॉफी अधिनियम/नियम आर टी आई अधिनियम और सभी नियमों इत्यादि के संशोधन से सम्बन्धित कार्यों को भी कानूनी प्रकोष्ठ निपटाता है ।

इंजीनियरिंग प्रभाग

बेंगलूर, मैसूर, चेन्नई में कॉफी बोर्ड के अपने कार्यालय भवन और बेंगलूर, नई दिल्ली और हासन में आवासीय फ्लैट्स हैं। इसके अलावा चिकमगलूर में केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान, चेट्टल्ली में (मडिकेरी के पास) कॉफी अनुसन्धान उपसंस्थान तथा केरल के चुन्देल में कॉफी अनुसन्धान स्टेशन, तमिल नाडू में थाण्डीगुडी, आन्ध्र प्रदेश में आर वी नगर, आसाम में डीफू और कर्नाटक, तमिल नाडू, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंण्ड राज्यों में विस्तरण स्कन्ध द्वारा अनुरक्षित निरूपण फार्म भी हैं ।

इंजीनियरिंग प्रभाग भवनों के रख-रखाव के कार्यों को और बोर्ड के भवन निर्माण और अपेक्षित अध: संरचनात्मक कार्यों को देखता है । यह प्रभाग जमा योगदान कार्य के तहत राज्य/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में राज्य/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भी सम्पर्क बनाए रखता है।

वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं	विवरण	राशि
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान योजना निधि के अधीन चलाए गए सिविल कार्य/बिजली सम्बन्धी कार्य, जमा अंशदान कार्यों पर पूंजी एवं परिव्यय पर कुल व्यय	4,08,79,933.00
2.	गैर योजना के अधीन भवनों के रख रखाव के तहत सिविल/बिजली कार्य, टेलीफोन बिल, जल एवं मल निकासी बिल, बिजली बिल का भुगतान, बेंगलूर महानगर पालिका को अदा की गई सम्पत्ति कर पर हुआ कुल व्यय	53,89,481.00
	योग	**4,62,69,414.00**

अध्याय -IV

कॉफी अनुसंधान

वर्ष 2002 एवं 2003 के दौरान लगातार दो वर्ष के कम वर्षापात के पश्चात वर्ष 2004 में सामान्यतया अच्छी बारिश हुई। वर्ष 2003-04 के दौरान घटित गंभीर सूखे की स्थिति के साथ साथ मूल्यों में हुई मंदी और वाईट स्टेम बोरर की भरमार होने के परिणामस्वरूप 2004-05 के दौरान कम फसल प्राप्त हुई। नाशीकीट एवं रोगों को नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी परिवेश हितैषी उपायों के साथ उत्पादन को बढाने में सी सी आर आई ने बहुत से उपाय सुझाए हैं। विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में पौधा सामग्री और क्वालिटी बीज की आपूर्ती करते हुए पुनर्रोपण एवं अंतरालों को भरने के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हुए इस संस्थान ने दीर्घावधि आधार पर बागानों की उत्पादकता में सुधार लाने की दिशा में कार्य किए । इस कार्यक्रम के तहत पुराने पौधा सामग्रियों की जगह असली स्थान विशेष पौधा सामग्री लगाए गए हैं और विद्यमान खाली स्थानों में पौधे लगाए गए हैं। पहली बार, कॉफी विज्ञान पर बीसवाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ए.एस.आई.सी (असोसिएशन साइन्टिफिक इंटरनेशनल डू केफे 2004) भारत में आयोजित किया गया जिसमें 20 देशों से वैज्ञानिक आये । सस्य विज्ञान, जैव तकनीक, रोग एवं नाशीकीट, कॉफी में कटाई पश्चात संसाधन, रसायनशास्त्र और कॉफी एवं मानव स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए ।

पौधा सुधार कार्यक्रम के तहत पत्ती किट्ट के प्रति स्थायी प्रतिरोध के लिए संकरण, वल्लासार्ची x एच डी ई टी संकर (सर्चिमोर), स्टेशन में प्रजनित सिलेक्शनों के साथ संकरित कोलम्बियाई केटीमोर, सिलेक्शन 5 बी आदि के मूल्यांकन, विद्यमान जर्मप्लास्म का पुन: सक्रियकरण, कॉफी जर्मप्लास्म का लक्षण वर्णन एवं बीज प्लाटों के रख रखाव पर ध्यान केन्द्रित किया गया । पौधा सामग्री एस 4595 (सिलेक्शन 11 x एच डी ई टी) लगातार छ: वर्ष से अच्छा निष्पादन करता आ रहा है । ऊतक संवर्धन और जैव तकनीकी प्रभाग ने कॉफी में मार्कर्स विकसित करने के लिए डी एन ए अनुप्रयोग प्रोटोकॉल विकसित करने, एग्रोबेक्टेरियम ट्यूमेफेशियन्स मेडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफारमेशन प्रोटोकॉल: रोग प्रतिरोध के आणविक जैविकी, वाईट स्टेम बोरर के आनुवंशिक विविधता, दैहिक भ्रूणजनन के जरिए चुने गए कृन्तको का गुणन एवं क्षेत्र मूल्यांकन इत्यादि पर अपना अध्ययन केन्द्रित किया ।

सस्यविज्ञान, भू विज्ञान एवं पौधा कायिकी विज्ञान को शामिल करते हुए फसल प्रबंधन कार्यक्रम ने अपने अध्ययन के तहत कृषि तकनीक, जैविक कॉफी का

उत्पादन, एकीकृत पोषक प्रबन्धन के लिए सलाहकारी सेवा प्रदान करना, प्रतिबल कायिकी विज्ञान, उत्पादन कायिकी विज्ञान, दैहिक क्षमता एवं बीज कायिकी पर अपना अध्ययन जारी रखा।

पौधा संरक्षण कार्यक्रम के अधीन रोग एवं नाशीकीट प्रबंधन आते है । इस कार्यक्रम ने वाईट स्टेम बोरर और कॉफी बेरी बोरर दोनों के लिए बेहतर एकीकृत कीट प्रबन्धन (आई पी एम) नीति विकसित करना और जैव नियंत्रण पहुँच के जरिए कॉफी पत्ती किट्ट के एकीकृत प्रबंधन पर प्रयत्न जारी रखे ।

कटाई पश्चात तकनॉलाजी प्रभाग ने कटाई पश्चात प्रक्रिया, फार्म मशीनरी का प्रसंस्करण एवं मूल्यांकन, कॉफी में कवकविषालुता संदूषण और कॉफी के गीले संसाधन से उपजे प्रदूषण के उपशमन पर अध्ययन चलाए ।

सी सी आर आई स्थित प्रशिक्षण केन्द्र ने कॉफी क्वालिटी (गुणता) मूल्यांकन पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के दूसरी तिमाही को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया । यहाँ "अपेनेसिया" एवं मधुमक्खी पालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया । प्रोफेसर जयराज, परामर्शकार के मार्गदर्शन के अधीन वर्ष के दौरान कृषक भागीदारी अनुसंधान (एफ पी आर) कार्यक्रम जारी रहा ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । सभी क्षेत्रीय स्टेशनों ने पहचान किए गए विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के लिए पैकेज बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । बेंगलूर तथा तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए कॉफी वाईट स्टेम बोरर की संख्या कम करने और उसका प्रबन्धन करने के क्षेत्र में वर्ष के दौरान दो सहायोगात्मक अध्ययनों की पहचान की गई और उन्हें क्रियान्वित किया गया । पोषण, प्रतिबल कायिकी विज्ञान एवं नाशीकीट पहलुओं पर कॉफी से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों पर चार वैज्ञानिकों को पी एच डी की उपाधि प्रदान की गई ।

आशा की जाती है कि, दसवीं योजना अवधि में अब तक प्राप्त हुए अनुसंधान परिणामों से कॉफी के क्वालिटी उन्नयन एवं लागत को कम करने को उद्देश्य में रख कर बेहतर पैकेज विकसित करने में सहायता मिलेगी ।

पौधा सुधार कार्यक्रम
वनिस्पतिशास्त्र :

- ❖ पत्ती किट्ट प्रतिरोध के विभिन्न ज्ञात स्रोतों यथा सार्चिमोर, एच डी ई टी, एस 4595 एवं एस 881 को कावेरी/केटीमोर के साथ संकरित कर अरेबिका समपित्रैको के पच्चीस सम्मिलन सृजित किए गए और उन्हें सी सी आर आई के प्रायोगिक प्लाटों में स्थापित किया गया । इनमें से तेरह सम्मिलन ने 1000 कि ग्रा/हे. से ज्यादा उपज रिकार्ड किया और इन सम्मिलन के बहुत से पौधे किट्ट से मुक्त हैं । इन सम्मिलन में प्रत्येक के कुछ पौधों को कृन्तकीय संजनन एवं क्षेत्र मूल्यांकन हेतु चिन्हित किया गया ।
- ❖ मौजूद जर्मप्लाज्म को सतेज करने का कार्य वर्ष 2003 में प्रारंभ हुआ और अब भी जारी है । चालू वर्ष में 75 ईथियोपियन अरेबिका, 70 अरेबिका वर्ल्ड कलेक्शन, 9 देशज समजाति तथा रोबस्टा के 9 प्रजाति और 5 समजाति पौधों को कम्पैक्ट जीन बैंक ब्लॉक में रोपा गया ।
- ❖ जर्मप्लाज्म का एक कैटलॉग विकसित करने के लिए ईथियोपियन, एबिसिनियन अरेबिका समजाति एवं 12 अरेबिका सिलेक्शनों के आकृतिमूलक ऑंकडे आई पी जी आर आई फार्मेट में पूरी तरह इकट्ठा किए गए है ।

- सी सी आर आई में सिलेक्शन 5 बी, 6 और 9 तथा सर्चिमोर, सी डी एफ, मूडिगेरे में सिलेक्शन 9 एवं कावेरी, सी आर एस एस चेट्टल्ली में सिलेक्शन 5 बी, 6 एवं एस 795 और सी डी एफ चिकमगलूर में सिलेक्शन 10 के बीज प्लाटों का समय समय पर दौरा किया गया ताकि असम्बद्ध पौधों को हटाने और बीज प्लाटों की सिंचाई जैसे परिष्कारात्मक कदम उठाए जा सकें ।

- विभिन्न अरेबिका सिलेक्शनों के कुल 2700 किलो ग्राम एवं रोबस्टा सिलेक्शनों के 700 किलोग्राम और इसके साथ नए समाजातियों के कुछ बीज पारंपरिक क्षेत्रों के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों और कुल 3600 किलो ग्राम गैरपारंपरिक क्षेत्र के केन्द्रों से वितरित किए गए । सीxआर के करीबन 4000 कृन्तक वितरित किए गए ।

ऊतक संवर्धन और जैवतकनॉलाजी

- कायिक भ्रूणरचना के जरिए बढिया कॉफी कृन्तकों का गुणन कार्य जारी है । वर्ष के दौरान, कावेरी, सिलेक्शन 6, सिलेक्शन 9, बोरबोन, *कोफीया* प्रजाति और सी x आर के 3229 ऊतक संवर्धित पौधों को मूल्यांकन हेतु विभिन्न कृषि जलवायवीय स्थितियों में लगाया गया ।

- डी एन ए पृथकीकरण को श्रेष्ठतम बनाने के प्रयोगों ने दर्शाया कि द्विचरण पद्धति से ऊतक के प्रति ग्राम से ज्यादा डी एन ए पैदा किए जा सकते हैं ।

- *काफीया* और *सिलान्थस* के विशेषता युक्त आर ए पी डी एवं आई एस एस आर चिन्हक (मार्कर्स) को पहचाना गया।

- कॉफी समाजातियों से प्रतिरोध जीन अनुरूपों को अलग करने के लिए प्रयोग प्रारंभ किए गए ।

- कॉफी वाईट स्टेम बोरर, *जाइलोट्रेकस क्वाड्रिप्स* और फफूँद *एस्परजिलस ओक्रासियस* पर आनुवंशिक प्रभेद अध्ययन प्रारंभ किए गए।

- कॉफी समजाति एस 4634, केन्ट्स, बोरबोन, मुण्डो नोवो और कावेरी पर एग्रोबेक्टेरियम व्यवहित मूलान्तरण प्रयोग चलाए गए ।

फसल प्रबन्धन

कृषि विज्ञान :

- प्रभेदीय सह अन्तरण सह शीर्षकर्तन प्रयोग में साफ कॉफी की पैदावार एक टीयर के साथ एस-4634 में प्रमुखतः उच्चतर (1957 किलोग्राम सी सी/हे) रही और सामान्यतया एस 4634 ने कावेरी की अपेक्षा अच्छा निष्पादन किया

- नर्सरी पॉली बैग के विस्तार ने कॉफी की पौद की शक्ति पर प्रभाव डाला । सामान्य पॉली बैग की तुलना में बड़े पॉली बैग में पौदों की बढ़त एवं शक्ति बेहतर देखी गई ।

- सी सी आर आई एवं सी आर एस एस, चेट्टल्ली में असंरोपित नियंत्रण की तुलना में एज़ोस्प्रिलम +वेम + पी एस बी के संयुक्त संरोपण से पौदों की शक्ति में वृद्धि देखी गई।

- रोबस्टा कॉफी के असिंचित ब्लाक (494.5 किलो ग्राम सी सी/हे) की तुलना में माइक्रो स्प्रिंकलर से सिंचित ब्लाक में पैदावार उच्चतर (963.2 किलो ग्राम सी सी/हे) रही ।

- जैव-कम्पोस्टीकरण परिणामों ने दर्शाया कि *फानेरोशियाटे क्राइसोस्पोरियम, ट्रिकोडर्मा विरिडे प्लूरोटस सजारकाजु* एवं *एस्परजिलस अवामोरी* से युक्त मल्डीमीडिया कल्चर के उपचार करने पर कम्पोस्टिंग के सभी स्तरो में सी:एन अनुपात का त्वरित घटाव देखा गया ।

- लोबिया, चना, मूँग, धिनचा और सन हेम्प के बीज सभी एफ पी आर एस्टेट में बोए गए और सूखे तत्व, खरपतवार नियंत्रण और पोषक अंशों के बारे में हिसाब लगाया गया । हरे खाद की बाकी फसलों की अपेक्षा लोबिया, चना ने अच्छा निष्पादन किया।

- कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों में जैव कॉफी कर्षण पर हुए सर्वेक्षण ने दर्शाया कि इसका वृहत्तम क्षेत्र तमिल नाडु में स्थित है (908 हेक्टर) इसके बाद केरल (904 हेक्टर) और कर्नाटक (575 हेक्टर) आते है । सभी क्षेत्रों को मिला कर कुल 565 जोतों में जैविक कॉफी उगाई जाती है ।

रसायन शास्त्र :

- अवधि के दौरान, 9942 मिट्टी नमूनों का विश्लेषण, मिट्टी प्रतिक्रिया, मौजूद पी और के, जैव कार्बन तत्व एवं सूक्ष्मपोषक तत्वों के लिए किया गया ताकि उपजकर्ताओं को चूना एवं उर्वरक सम्बन्धी, सलाहें दिए जा सकें । कुल 640 पत्ती नमूनों एवं 716 कृषि रसायनों का सलाहकारी उद्देश्य हेतु विश्लेषण किया गया । इसमें लाइमिंग सामग्री (चूनाकरण) उर्वरक, जैव खाद एवं कॉपर सल्फेट शामिल हैं ।

- अरेबिका कॉफी के लिए डी आर आई एस मानदण्ड विकसित किए गए और उन्हें मानक उर्वरक अनुप्रयुक्त ब्लाकों में प्रमाणित किया जायगा।

- अरेबिका और रोबस्टा दोनों कॉफियों में चार वर्ष के परिणाम के आधार पर इस नतीजे पर पहुँचे कि 0.25% जिंक सलफेट अर्थात 162 मि :ली प्रति 200 लिटर स्प्रे सोल्यूशन के बराबर सान्द्रता में जिनट्रेक 700 को बोरडो मिश्रण अथवा एक जलीय सोल्यूशन की तरह मानसून पूर्व अथवा मानसूनोत्तर अवधि में पत्तो पर छिड़काव के साथ मिट्टी में एन.पी एवं के की अनुशंसित खुराक डाली जाए तो इससे पैदावार में ठीक उसी तरह प्रभावी बढत देखी गई जैसे जिंक सलफेट (0.25%) के पारंपरिक प्रयोग से देखी जाती है ।

- यह देखा गया कि कलसा जोन के रोबस्टा कॉफी क्षेत्र में उपलब्ध एस न्यून स्तर पर था जब कि सभी अरेबिका एस्टेटों में यह पर्याप्त मात्रा में था । ज्यादातर मिट्टी नमूनों के विश्लेषण पश्चात देखा गया कि दक्षिण कोडगु मिट्टी में उपलब्ध एस की मात्रा कम थी ।

- पैदावार मूल्य इंगित करते हैं कि म्यूरिएट ऑफ पोटाश अथवा सलफेट ऑफ पोटाश के तौर पर पोटाशियम के इस्तेमाल से पैदावार में नियंत्रण की तुलना में वृद्धि देखी गई । परन्तु आंकडे दर्शाते हैं कि इससे उपज में खासी वृद्धि नहीं दिखाई दी । कप स्वादन परिणामों ने दर्शाया कि रोबस्टा में पोटाश के सल्फेट उपचारित प्लाटों में फलियों की कप क्वालिटी बेहतर थी। प्रयोग जारी हैं ।

- हासन एवं कोडगु क्षेत्रों के कॉफी उगाने वाले इलाकों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए सर्वेक्षण चलाया गया । परिणाम दर्शाते हैं कि हासन जिले के सभी कॉफी मिट्टी में उपलब्ध

तांबा, लोहा और मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में है तथा बेलूर, मग्गे और येसलूर जैसे क्षेत्रों में जस्ते की कमी देखी गई । 9 संपर्क जोन से इक्कट्ठा किए गए नमूनों में कोडगु क्षेत्र की मिट्टी में कैलशियम और मेगनेशियम क्रान्तिक सीमा से कम पाया गया ।

❖ केरल के वायनाड जिले का मिट्टी पोषकतत्व मानचित्र तैयार किया गया और उसे मार्च 2005 के दौरान रिलीज किया गया ।

पौधा कायिकी विज्ञान:

❖ सी सी सी (क्लोरो मेकाट क्लोराईड) को 20, 40, 60 पी पी एम और लेन्टाना केमेरा के 1% पत्ती निस्सारक का इस्तेमाल कर चलाए गए पुनरावृत क्षेत्र परीक्षण ने इंगित किया कि जनवरी एवं फरवरी के दूसरे पखवाडे के दौरान सूखा सुधार छिडकाव के तौर पर लेन्टाना केमेरा के पत्ती निस्सारक से उपचारित रोबस्टा पौधों में फल लगने में सुधार एवं पैदावार में 20.19% वृद्धि (दो स्थानों का माध्य यथा सी आर एस एस, चेट्टल्ली एवं आर सी आर एस ,चुन्देल) हुई ।

❖ 1.5% ग्लिरिसिडिया पत्ती निस्सारक एवं 'सेलेओ' (जैविक रूप से प्राप्त एक पी जी आर) को 400 ग्राम प्रति एकड के हिसाब से पत्तों पर मानसून पूर्व एवं मानसूनोत्तर छिडकाव से पैदावर में नियंत्रण की तुलना में 134 एवं 126 किलो ग्राम सी सी प्रति हेक्टेयर की वृद्धि संभव हुई ।

❖ पत्तों में एन, पी ,के ,एस ,एम जी, जेड एन एवं एफ ई स्थिति रोबस्टा कॉफी में फसल उत्पादन को सीमित करता पाया गया । बहुत कम पैदावार देने वाले ऐस्टेट ने उच्च पोषकतत्व असंतुलन सूचकांक (एन आई आई) दर्शाया ।

❖ 13 सी डिसक्रिमिनेशन अध्ययन ने दर्शाया कि स्टेशन से रिलीज किए गए सिलेक्शनों में से सिलेक्शन 3,9,1,11,7.3 एवं 4 (टी) में बेहतर जल इस्तेमाल क्षमता थी।

❖ जड आकृति पर अध्ययन ने दर्शाया कि अरेबिका किस्म की अपेक्षा रोबस्टा में पार्श्वीय जड की लम्बाई और पार्श्वीय जडों की संख्या ज्यादा थी। जो भी हो प्रधान मूल लम्बाई एवं जड प्रणाली की अधिकतम लम्बाई अरेबिका में उच्चतम रही।

❖ सूखा सहिष्णु रोबस्टा संग्रहों को उनके प्रकाशसंश्लेषण क्षमता, वायुसंचार हानि, शारीरिक जल प्रयोग क्षमता, कार्बोक्सिलेशन क्षमता हेतु स्क्रीन किया गया । डी आर - 15 ने जल प्रतिबल स्थितियों में अच्छा निष्पादन किया ।

❖ जड स्कन्ध के मुकाबले शाख कलमों के संयोजन में एस 3311x बी आर 12 (ऊँचे डब्ल्यू यूई के मुकाबले ऊँचे जड किस्म) और उसके उलट ने जड़ स्कंध और शाख कलम संयोजन के तौर पर कुल बायोमास, कोपल से जड़ अनुपात (एस आर आर) जड़ से कोपल अनुपात (आर एस आर) और संचयी जल नि:सृत (सी डब्ल्यू टी) में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया ।

❖ टफारिकेला, सिलेक्शन 6 और सिलेक्शन 10 के जड शाख संयोजन अन्य संयोजनों की तुलना में बेहतर थे ।

❖ सिलेक्शन 9 (लेक्स) और सिलेक्शन (एस डब्लू जी) ने जल प्रतिबल स्थिति में अच्छा कार्य किया।

❖ प्रथम वर्ष के फसल की पैदावार ने इंगित किया कि ट्रायोमेडिफोन (बेयलेटोन) को प्रति 200 लीटर पानी में 160 ग्राम और प्लाक्ट्रोबुट्राजोल (क्युल्टर) को प्रति 200 लीटर पानी में 20 मि

ली के हिसाब से घोल कर पत्तो पर छिडकने पर पौधों में सुधार देखा गया । इस छिडकाव से फलन गाँठों एवं प्रति गाँठ कलियों की संख्या में वृद्धि हुई ।

- पुष्पण दिवस की भोर को वर्षा की फुहारों से फल लगने में 14 से 41% तक वृद्धि देखी गई जब क्रमश: वर्षा 2 से 3 मि मी और 9.74 मि मी हुई ।

- फरवरी के दूसरे सप्ताह से मई के तीसरे सप्ताह हुई पुष्पण फुहारों में प्रत्येक सप्ताह की देरी से चिकमगलूर और कोडगु जोन में प्रति सप्ताह क्रमश: 61.13 एवं 43.51 किलो ग्राम / हे की घटत होती देखी गई ।

- फसल उत्पादन पर वर्षा प्रतिमान के प्रभाव पर हुए अध्ययन ने दर्शाया कि सीजन 2003 (सूखा) की तुलना में सीजन 2004 (सामान्य मानसून) के दौरान अरेबिका एवं रोबस्टा में प्लवन बीज एवं पार्चमेंट जोल्लो में कमी के साथ फलों के वजन एवं घनत्व में बढत दिखाई दी । श्रेणी प्रतिशत पर हुए ऐसे अध्ययन में यह पता चला कि सीजन 2003 की अपेक्षा सीजन 2004 के दौरान 'ए' श्रेणी के बीज ज्यादा प्राप्त हुए ।

- पत्ता पोषक तत्व विश्लेषण ने इंगित किया कि सामान्य ब्लाकों की तुलना में पतझड ग्रसित ब्लाकों के पत्तों में लौह एवं ताँबा तत्व ज्यादा पाया गया । पतझड ग्रसित ब्लाकों में मिट्टी पी एच स्तर उच्चतर पाया गया । बहरहाल, वर्तमान सीजन के दौरान स्वस्थ पत्तों की झड़ने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

- 12 घण्टे तक सोखने पर बीजों के कठोरता ने पौदों की बढत लक्षण मे अधिकतम सुधार होना इंगित किया ।

पौधा संरक्षण

कीटविज्ञान/सूत्र कृमि विज्ञान :

- सी सी आर आई, चेट्टल्ली, थांण्डीगुडी एवं आर वी नगर में वाईट स्टेम बोरर कीटों के व्यवहार का अनुवीक्षण किया गया और सभी क्षेत्रों में उनके पलायन अवधि में कोई बदलाव नहीं देखा गया । जीवन तालिका अध्ययन ने दर्शाया कि अबाधित परिवेश में प्राकृतिक शत्रु ज्यादा सक्रिय थे । जीवन तालिका अध्ययन ने सुझाया कि वयस्क कीटों का ज्यादा संख्या में बाहर निकलना शीत ऋतु के दौरान और कम संख्या में ग्रीष्म पलायन अवधि में देखा गया । एकत्रित आंकडों ने सुझाया कि कीडों का जीवन चक्र दो पूर में पूरा होता है, पहला छ: महीने की अवधि में और दूसरा 10 महीने से ज्यादा अवधि में । बोरर की भरमार पर छांव, वर्षा, उन्नतांश इत्यादि का मूल्यांकन करने के लिए बहुविध परावर्तनों का हिसाब लगाया जा रहा है ।

- स्टेम बोरेर से सात नए परजीव्याभों को संग्रहित किया गया है और उनमें से चार संभावी प्राकृतिक शत्रु पाए गए हैं । कुछ और परजीव्याभ इकट्ठा किए गए हैं और उन्हें पहचान हेतु सी ए बी आई बायोसाइन्स भेजा गया है । दो सूत्रकृमि एक स्टेनरनेमाटिड और दूसरा हेटेरोरहेबडिटीस को भी एकत्रित किया गया है । जब वेउवेरिया बासियाना प्योर कोनिडिया को बेधित सूराखों में भरा गया तब तनों के भीतर बोरर अवस्था का कोई संक्रामकता नहीं देखा गया ।

- करीब 5,000 एपेनेसिया एस पी (वाईट स्टेम बोरर का परजीव्याभ) का गुणन किया गया और 3495 को सी सी आर आई से विभिन्न उपजकर्ताओं को दिया ताकि वे उनको अपने फार्मों में और आगे गुणन कर सकें और एस्टेटों में छोड सकें । सी सी आर आई प्रयोगशाला से सी आर एस एस चेट्टल्ली, आर सी आर एस थाण्डीगुडी और नरसीपट्टनम को परजीव्याभ ऊतक दिए गए ताकि उनका प्रयोगशाला में गुणन कर उन्हें आगे रिलीज किया जा सके । चेट्टल्ली में 6000 भृंगों को उत्पन्न कर उनमें से 1800 को बागानों में छोडा गया । फार्म में इनके गुणन को प्रोत्साहित करने के लिए अपेनेसिया एसपी के गुणन के लिए आवश्यक वस्तुओं युक्त किट करीब 150 उपजकर्ताओं को दी गई ।

- प्रणालीबद्ध कीटमारक मोनोक्रोटोफॉस एवं कॉनफिडर के साथ किए गए क्षेत्र परीक्षणों ने सकारात्मक परिणाम नहीं दर्शाया ।

- ग्रीष्म पलायन अवधि के दौरान चिकमगलूर में चार स्थानों पर 432 ट्रेप लगाए गए और 72 कीट फँासे गए। 92 ट्रेप में जीवित नर एवं मादा कीटों को शामिल कर कुल 213 कीट फँसे। सी सी आर आई फार्म में शीत अवधि में 425 ट्रेप लगाए गए । ट्रेप में पकडे गए कीटों की संख्या प्राक्कलित कीट संख्या की कुल 15 से 45% आंकी गई ।

- दोनो पलायन अवधि के दौरान चेट्टल्ली में 555 ट्रेप लगाए गए और कुल 1050 कीट पकडे गए। कूर्ग के कोरेकोप्पा एस्टेट से प्राप्त कीट की संख्या कुल प्राक्कलित कीटों की संख्या का 63% रही। थाण्डिगुडी से 585 ट्रेप पुलनीज़ एवं यरकाड में लगाए गए और 297 कीट पकडे गए ।

- स्टेम बोरर प्रबन्धन के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक अध्ययन कर्नाटक एवं तमिलनाडु में संपूर्ण हुआ और आंकडों का विश्लेषण कार्य प्रगति पर है ।

- बेरी बोरर के विरूद्ध जैवनियंत्रण कार्यक्रम में बेरी बोरर एवं उसके परिजीव्याभ सेफालोनोमिया स्टेफानोडेरिस का बहुल गुणन आर सी आर एस चुन्देल, सी आर एस एस, चेट्टल्ली और आर सी आर एस थाण्डीगुडी में जारी रखा गया। कुल 2,79,695 परजीव्याम पाले गए और 2,18,750 की संख्या में 165 एस्टेटों में रिलीज किए गए। संस्थापना अध्ययनों के मूल्यांकन कार्य को जारी रखा गया है । फाइमास्टिकस कॉफीया का गुणन जारी है । सेमिसिन्थेटिक खुराक से 800 कीट पैदा हुए है । उत्पादन में प्रबल घटत हुई है ।

- वयनाड में आर सी आर एस चुन्देल से उपजकर्ताओं को कुल 2,850 ब्रोका ट्रेप आपूरित किए गए । सी सी आर आई से चिकमगलूर एवं हासन जिले के उपजकर्ताओं को 2500 प्रलोभक की आपूर्ती की गई । एक नए प्रकार का ब्रोकाट्रेप विकसित किया गया है और इन्हे उपजकर्ताओं में रियायती दर में आपूर्ती करने की व्यवस्था की गई है ।

- एक व्याधिजनीय सूत्रकृमि स्टेयनरनेमा एस पी को क्षेत्र से संग्रहीत स्टेम बोरर लार्वा से पृथक किया गया है और अगर माध्यम का इस्तेमाल कर प्रयोगशाला में उसे सन्धारित किया गया है । स्टेम बोरर पर इसके संक्रामीगुण पर प्रारम्भिक अध्ययन शुरू किए गए हैं ।

पौधा रोगविज्ञान

- ग्यारह पत्ती किट्ट जातियों को स्क्रीनिंग परीक्षण हेतु ग्लास हाउस स्थिति में संधारित किया गया।

किट्ट विभिन्नकों के 36 समूह से सम्बन्धित कुल 201 पौधों को संधारित किया गया और चिन्हित पौधों के कलमों से कलमीकरण किया गया । आगे चिन्हित पौधों से 216 आसंजकों को गुणन हेतु जड़ स्कन्धों पर कलम किया गया ।

❖ कलम किए गए चिन्हित पौधों पर पत्ती किट्ट का प्राकृतिक संक्रमण देखा गया यथा के पी 532, 87/1, एच डब्ल्यू 17/12, एच 150/8, एच 153/2, एच 468/23, एच 583/5 और एच 134/4 विभिन्न कॉफी सिलेक्शन से किट्ट प्रजाति I, XII, XXIII, XXV, V2, 5, 8 एवं V2, 5,6,7,9 को पृथक किया गया ।

❖ सूडोमोनास फ्लोरेसेन्स, बेसिलस मेगाटेरियम, बी सबटिलिस एवं वर्टिसिलियम हेमेली जैसे अणुजीवी ऊतकों का इस्तेमाल कर पत्ती किट्ट के जैव नियंत्रण पर अध्ययन प्रारंभ किए गए ।

कटाई पश्चात तकनीक

❖ मेसर्स पिनहालेन्स कम्पनी ब्राजील से प्राप्त किए गए वर्टिकल पल्पर और मैसर्स एडम एण्ड सन्स कम्पनी, मडिकेरी द्वारा आपूर्ती किए गए पुराने डिस्क पल्पर का मूल्यांकन किया गया । कुल मिलाकर पिन्हालेन्स पल्पर का निष्पादन संतोषजनक नहीं था और इसमें सुधार किया जाना है । पुराने तीन डिस्क पल्पर ने कुल 415 किलो ग्राम अरेबिका एवं 290 किलो ग्राम रोबस्टा फल/डिस्क/घण्टा पल्प किया ।

❖ जब कॉफी का ढेर बहुत लिसलिसा और गांठों वाला बन जाए तब अपतुषित फलियों को हैंडल करने में नियंत्रण की अपेक्षा चूना मिलाने पर वह सहायक साबित हुआ । कप क्वालिटी के परिणामों ने सुझाया कि कृषि लाईम से उपचारित नमूनों में कप क्वालिटी 0.5% डब्लू/डब्लू की सीमा तक वर्धित हुआ जब कि स्प्रे लाइम से उपचारित नमूनों में यह 0.2% डब्लू/डब्लू रहा । उच्चतर खूराक ने क्वालिटी में कोई सुधार नहीं किया वरन इससे क्वालिटी में अवनति जरूर हुई ।

❖ फफूँद की रोकथाम में सुखाने की सतह के तुलनात्मक अध्ययन ने सुझाया कि सतह, ब्लॉकों एवं उपचारों के अंतर से सुखाने के दिनों में कोई भिन्नता नहीं दिखाई दी । सिमेन्ट, टारपोलीन एवं एग्रो नेट सतह ने वांछित नमीं अंश तक सुखाने में करीबन समान दिन लगाया। मिट्टी की सतह ने इसके लिए अतिरिक्त 2-3 दिन लिया ।

❖ परवलीय सुखाने की पद्धति पर हुए परीक्षण ने सुझाया कि चेरी एवं पार्चमेंट के लिए क्रमश: सीमेन्ट/परवलीय की तुलना में गोबर से लिपी सतह पर यीस्ट का जमाव उच्चतर (20%) पाया गया। किसी सुखाने के यार्ड में ओकर वर्ग के एस्परजिल्ली रिकार्ड नहीं की गई सिवाय उस वक्त जब चेरी परवलीय ड्रायर पर सुखाई गई थी । चेरी और पार्चमेंट दोनों में अन्य सतह की तुलना में परवलीय ड्रायर में सुखाने पर फ्यूसारियम की घटना उच्च देखी गई ।

❖ जीवाणु और कवक तत्व के बारे में जानने के लिए अरेबिका (तीन रन) एवं रोबस्टा (दो रन) के फलों के भिगोने सम्बन्धी परीक्षण किए गए । पानी में फलों को भिगोने पर पता चला कि अनभिगे कॉफी फलों की अपेक्षा भिगोए गए फलों में यीस्ट का जमाव ज्यादा एवं निगर की घटना कम देखी गई। ओकर की घटना सिर्फ प्लव बीजों (फ्लोट्स) में 2-5.5% तक देखी गई ।

- निस्त्रव एवं प्रदूषण भार का अन्दाज लगाने के लिए किए गए अध्ययन से पता चला कि प्रसंस्करण किए गए प्रति टन के निस्त्रव में निस्त्रव के पुन:चक्रण से जल के खपत एवं प्रदूषण भार कम किया जा सकता है। इससे एक एस्टेट में निस्त्रव उपचार प्लांट (ई टी पी) लगाने में आवश्यक जगह एवं लागत में कमी की जा सकती है ।

- निस्त्रव उपचार प्लांट (ई टी पी) के निष्पादन पर हुए अध्ययन में आवात स्तर पर ही सुधार लाकर अर्थात 4.0% गोबर के घोल (आवात टैंक कप घनत्व का 10%) के बदले गोबर के साथ एस्टेट से इकट्ठा किए गए सूखे खरपतवार के रूप में जैविक का अचल क्यारी बना कर प्रयोग किए गए। समग्र क्षमता (विशेष ढंग से सी ओ डी भार) 38 से 78% के बीच रही ।

- बायोरिएक्टर के कार्य निष्पादन पर हुए अध्ययन में पता चला कि आवक निस्त्रव का सी ओ डी 6700 से 11560 मि.ग्रा प्रति लीटर था जब कि जावक निस्त्रव में यह 790-3670 मि.ग्रा प्रति लीटर था। आवक निस्त्रव का पी एच 5.8-6.2 के बीच था और जावक निस्त्रव का पी एच 6.2 - 6.6 था । प्रदूषण की कमी सम्बन्धी आँकडों ने दर्शाया कि अधिकतम कमी 88.9% एवं न्यूनतम कमी 68% थी अर्थात औसतन 81% कमी देखी गई ।

- निस्त्रवों के निराकरण पर हुए प्रयोगशाला प्रयोगों ने यह पुष्ट किया कि स्प्रे लाईम (चूना) की तुलना में कृषि लाईम के साथ स्प्रे लाईम मिलाकर किए गए उपचार से बेहतर परिणाम दिखाई दिए । सठीक लाईम (चूना) खूराक संयोजन के बारे में पुष्टि तथा निर्णय करने के लिए आगे और अध्ययन की जरूरत है । सी ओ डी के परिणामों ने प्रारंभिक भार पर 16-29% तक कमी रिकार्ड की ।

- प्रयोगशाला स्तर पर दो जलीय प्लांट के इस्तेमाल से निस्त्रव के तृतीयक उपचार पर हुए अध्ययन ने प्रोत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं । सी ओ डी के सम्बन्ध में विरोष रूप से प्रदूषण भार पर आँकडो ने यह दर्शाया कि प्रदूषण भार प्रारंभिक भार की तुलना में 82-87% के बीच रहा । दोनों जलीय प्लांटो ने प्रदूषण भार को स्वीकार्य स्तर तक कम करने में सहायता की । इन परीक्षणों को बडे पैमाने पर प्रायोगिक क्रम में किया जाना है ताकि आँकडे उत्पन्न किए जा सकें और प्रणाली का मानकीकरण हो सके ।

फफूँद बनना रोकने के जरिए कॉफी की क्वालिटी में वृद्धि पर विश्व परियोजना

1. फफूँद बनना रोकने के जरिए कॉफी क्वालिटी में वृद्धि करना विषय पर जारी एफ ए ओ परियोजना के तहत एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चलाया गया। यह सर्वेक्षण संकटापन्न रूप में पहचाने गए एस्टेटों में फफूँदी बनने को रोकने के लिए एस्टेट स्तर पर ही अपनाई जाने के लिए अनुशंसित पद्धतियों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु चलाया गया । इस सर्वेक्षण के अधीन 140 एस्टेटों (चिकमगलूर में 36 एस्टेट, हासन में 14 एस्टेट, कूर्ग में 41 एस्टेट, वायनाड में 19 एस्टेट एवं अन्य 30) का अध्ययन के तहत दौरा किया गया । इसके साथ साथ कॉफी में फफूँदी बनना रोकने पर जागरूकता सृष्टि करने की मंशा से भी दौरे किए गए।

2. ओक्राटॉक्सिन ए (ओ टी ए) विश्लेषण पर अन्तर प्रयोगशाला निपुणता परीक्षण: विश्लेषण प्रयोगशाला

कॉफी बोर्ड ने एफ ए ओ परियोजना फफूँद बनना रोकने के जरिए कॉफी की क्वालिटी में वृद्धि पर विश्व परियोजना नामक एफ ए ओ परियोजना के तहत चलाए गए पूर्व निपुणता एवं प्रथम राऊण्ड निपुणता परीक्षण में भाग लिया । इस कार्यक्रम के अधीन लेबोरेटोरी फॉर क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड फूड सेफ्टी (एल.ए.सी.क्यू.एस.ए/एल.ए.वी.-एम.जी) ब्राजील से प्राप्त हुए आठ हरी कॉफी के नमूनों का ओ टी ए स्तर जानने के लिए विश्लेषण किया गया । विषय पर प्राप्त हुई रिपोर्ट एल.ए.सी.क्यू.एस.ए./एल.ए.वी. -एम.जी. ब्राजील को सौंप दी गई है ।

3. ओक्राटॉक्सिन ए संदूषण के लिए नमूनों का विश्लेषण: 23 व्यापार नमूने, 28 फार्म सर्वेक्षण नमूने और 203 परीक्षणात्मक कॉफी नमूनों को शामिल कर कुल 254 नमूनों का ओ टी ए तत्व के लिए परीक्षण किया गया ।

4. चिकोरी द्वारा प्रभावित कॉफी के क्वालिटी पैरामीटर पर अध्ययन : 64 नमूनों का नमी अंश और जल विलेय तत्व हेतु विश्लेषण किया गया । 37 नमूनों का केफीन हेतु और कुल एश एवं एसिड अविलेय एश प्रत्येक के लिए 30 नमूनों का विश्लेषण किया गया ।

5. विभिन्न कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों में कॉफी किस्मों के क्वालिटी मानचित्रण पर अध्ययन : 54 कॉफी नमूनों को केफीन हेतु और फली घनत्व एवं फली वजन पैरामीटर हेतु प्रत्येक के 100 नमूनों का विश्लेषण किया गया ।

6. कीटनाशक अवशिष्ट संदूषण हेतु कॉफी नमूनों का विश्लेषण : अरेबिका एवं रोबस्टा प्रत्येक के 50 नमूनों को शामिल कर कुल 100 कॉफी नमूनों का नौ प्रकार के कृषि रसायनों के लिए परीक्षण किया गया । वे हैं लिण्डेन, एण्डोसल्फान, क्लोरपाइरीफोस, डिशलोरोवोस, हेक्साकोन्जोल, ट्रियाडेमीफोन, प्रोपिकोनाजोल, ग्लिफोसेट एवं पेराक्वाट.डि.क्लोराईड । इनके अवशिष्ट संदूषणों का परीक्षण किया गया । उपरोक्त 9 कृषि रसायन अवशेषों के लिए जाँचे गए नमूनों से अधिकांश विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे हैं जैसे कोडेक्स, ई यू, जापान एवं यू एस-ई पी ए ।

7. उद्योग/अनुसंधान समर्थन के अधीन बी आई एस/पी एफ ए पैरामीटरों के लिए कॉफी नमूनों का विश्लेषण : वर्ष के दौरान उद्योग से प्राप्त हुए 21 कॉफी एवं कॉफी चिकोरी नमूने और 3 शुद्ध चिकोरी नमूनों का विभिन्न पी एफ ए पैरामीटरों के लिए विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट प्रेषित किए गए। 10 मानसून्ड कॉफी नमूनों को शामिल करते हुए 16 अनुसंधान कॉफी नमूनों का नमी अंश और केफीन हेतु विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट भेजे गए ।

8. चिकोरी एवं कॉफी नमूनों में केटोस तत्व के प्राक्कलन पर अध्ययन : चिकोरी तत्व की गणना हेतु केटोसेस के प्राक्कलन की पद्धति अध्ययन अधीन है । केटोसेस के लिए पाँच चिकोरी नमूनों का बारंबार विश्लेषण किया गया ताकि क्रियाविधि की बारंबारता और पुनरूत्पादनीयता का परीक्षण हो सके और उसका मानकीकरण हो सके ।

9. माईश्चर मीटर का अंशाकंन : कुल मिलाकर 54 माईश्चर मीटर का अंशाकंन किया गया। इनमें से 14 कॉफी बोर्ड के विस्तरण एवं अनुसंधान विभाग के थे और 40 उद्योग से सम्बन्धित थे ।

प्रकाशन:

55 तकनीकी पेपर/लेख, लोकप्रिय एवं वैज्ञानिक जरनलों में प्रकाशित किए गए ।

क्वालिटी मूल्यांकन

❖ बोर्ड के अनुसंधान स्टेशनों के अलावा उपजकर्त्ता, संसाधक, व्यापारी और निर्यातकों से कुल 1075 कॉफी नमूनों को दार्ष्टिक और कप्पिंग क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए मूल्यांकन किया गया और सलाह सहित क्वालिटी मूल्यांकन रिपोर्ट भेजे गए।

❖ कॉफी क्वालिटी प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का तीसरा बैच, जिसमें सात छात्र थे, मई 2004 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ । चौथे बैच के लिए प्रवेश पूरा हुआ है और कुल छः विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है ।

❖ वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित 12 कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में 159 व्यक्तियों को भुनाई और ब्रूइंग पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया गया।

❖ "फ्लेवर ऑफ इंडिया-द फाइन कप अवार्ड" काप्पिंग कांपिटेशन 2004 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। ट्रियेस्टा में विविध कॉफी उपजाने वाले देशों से आए प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय जूरी से अंतिम राउण्ड कप्पिंग आयोजित हुआ।

❖ वर्ष के दौरान तीन क्वालिटी प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया गया और तीन वर्ष की अवधि के लिए नए मार्गदर्शी प्रत्यय पत्र जारी किए गए।

❖ क्वालिटी मूल्यांकन केन्द्रों ने विविध एस्टेटों के कॉफियों का चषक स्वादन किया और विशेष क्वालिटी कॉफियों की पहचान के लिए कॉफी क्वालिटी पर फीड बैक रिपोर्ट दिए ।

❖ विभिन्न प्रदेशों में उपजे विशेष स्पेशियालिटी कॉफी के क्वालिटी निर्धारण हेतु यूरोप, अमेरिका और जापान से आये हुए खरीददारों के लिए चषक स्वादन सत्र आयोजित किए गए।

❖ "धुली रोबस्टा के लिए दिशा निर्देश" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई ।

अध्याय -V

विस्तरण एवं विकास

क. पारम्परिक क्षेत्र (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु)

क्षेत्र व्याप्ति :

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पारम्परिक भूभागों में विस्तरण सेवाएं करीबन 3.20 लाख हेक्टेयर्स जमीन पर 1.48 लाख उपजकर्ताओं द्वारा कर्षित बागानों को व्याप्त करती है। छोटे कॉफी उपजकर्ता सेक्टर 98% कॉफी की पैदावार के लिए जिम्मेदार रहा और उसने देश के कुल उत्पादन में 60% का सहयोग दिया।

कॉफी क्षेत्र का वितरण :

पारम्परिक राज्यों/जिलों में कॉफी अधीन रोपित क्षेत्र एवं फलन क्षेत्र निम्नानुसार थे: **(हे. में)**

क्र सं	राज्य	रोपित क्षेत्र			फलन क्षेत्र		
		अरेबिका	**रोबस्टा**	**योग**	**अरेबिका**	**रोबस्टा**	**योग**
1.	कर्नाटक	109424	95058	204482	104109	92665	196774
2.	केरल	4095	80549	84644	3842	79743	83585
3.	तमिलनाडु	25108	5556	30664	24038	5553	29591
	महायोग	**138627**	**181163**	**319790**	**131989**	**177961**	**309950**

2004-05 में कॉफी का उत्पादन

फसल सीजन 2004-05 में राज्य/जिलावार कॉफी का उत्पादन निम्नानुसार है : **(मात्रा मे.ट. में)**

क्र सं	राज्य	अरेबिका	रोबस्टा	योग
1.	कर्नाटक	82900	115700	198600
2.	केरल	1325	52975	54300
3.	तमिलनाडु	14975	3325	18300
4.	अन्य	4200	100	4300
	महायोग (भारत)*	**103400**	**172100**	**275500**

***अंतिम प्राक्कलन**

विस्तरण सेवाओं का अनुश्रवण :

हासन के संयुक्त निदेशक (विस्तरण) ने कर्नाटक के तीन उप निदेशक विस्तरण, सात वरिष्ठ संपर्क अधिकारियों और सत्रह कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के विस्तरण कार्य कलापों का अनुश्रवण व मार्गदर्शन किया ।

कल्पेट्टा के संयुक्त निदेशक, विस्तरण ने केरल व तमिलनाडु के दो उप निदेशक विस्तरण और आठ वरिष्ठ संपर्क अधिकारियों तथा ग्यारह कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के विस्तरण क्रियाकलापों का अनुश्रवण और मार्गदर्शन किया ।

पारंपरिक क्षेत्रों के विस्तरण योजना कार्यक्रम और विस्तरण सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए सचिव, कॉफी बोर्ड समग्र पर्यवेक्षक रहें ।

कॉफी बेरी बोरर का एकीकृत प्रबन्धन

कृषक भागीदारी पहल का इस्तेमाल करते हुए कॉफी बेरी बोरर के एकीकृत प्रबन्धन को प्रेरित किया गया था । तकनीक अंतरण के साथ बिनने की चटाई, ब्रोका ट्रेप एवं ल्यूर्स की सामग्री सहायता भी दी गई। सामान्यत: कॉफी बेरी बोरर की घटना फसल कटाई के सीजन को छोड़ कर वर्ष भर में बहुत धीमी रही ।

कॉफी बेरी बोरर के नियंत्रण हेतु विस्तरण सेवाएँ पौधा संरक्षण की प्रेरणा हेतु जागरूकता कैंप आयोजित करना,पोषण प्रबन्धन और गुणता कॉफी उत्पादन, ग्राम स्तरीय बैठक आयोजित करना और कृषक भागीदारी पहल कार्यक्रम के तहत कृषक समूहों की बैठक आयोजित करने पर केन्द्रित थी। आवश्यकतानुसार सलाह दिए गए ।

वाईट स्टेम बोरर के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना

"वाईट स्टेम बोरर (डब्ल्यू एस बी) परिवेष हितैषी पकडो और मारो कार्यक्रम" नामक एक मार्गदर्शी योजना मई से अगस्त 2004 तक कार्यान्वित की गई। नाशीकीट स्तर के नीचे तक नाशीकीट संक्रमण को लाने के उद्देश्य से प्रभावित पौधों से कीटों को उनकी सभी अवस्था में बाहर निकालना और प्रभावित पौधों को खोज निकालने का कार्य इस योजना के तहत पूरा किया गया । इस स्कीम की सुविधा सभी उपजकर्त्ताओं को उनके पास स्थित जमीन के आकार पर ध्यान न देते हुए दी गई और प्रति वयस्क प्यूपा और ग्रब को नष्ट करने के लिए क्रमश: 5/-रू, 3/-रू और 2/-रू का वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। इस मार्गदर्शी योजना के तहत 15,399 हे. का कुल क्षेत्र व्याप्त था और 2.26 करोड़ रूपये प्रोत्साहन धन के रूप में दिया गया । कुल 88,26,855 ग्रब,17,01,235 प्यूपा एवं 8,46,695 वयस्कों को नष्ट किया गया।

मासिक अनुश्रवण और विस्तरण सेवाओं का पुनरीक्षण

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कॉफी उपजानेवाले क्षेत्रों के विभिन्न प्रदेशों में स्थित विस्तरण अधिकारियों के काम करने हेतु ही एक विस्तरण क्रिया - कलाप के भौतिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर विस्तरण सेवाओं को क्रियान्वित किया गया । इन क्रियाकलापों का विभिन्न पर्यवेक्षी स्तरों पर अनुश्रवण किया गया । वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है ;

पारंपरिक क्षेत्रों में चलाई गई विस्तरण सेवाओं का सार-संक्षेप निम्नानुसार है :

क्र सं	विस्तरण क्रिया कलाप	योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	एस्टेट संदर्शन	17185	21946
2	क्षेत्र निरूपण	3890	4842
3	सलाहकारी पत्र जारी करना	1745	2154
4	स्वयं सहायता समूह	46	42
5	छोटे स्वयं सहायता समूह (पुराने व नए)	404	401
6	कृ.भा.प्र.कार्यशालाएँ	182	168
7	त.मू.के.में मानव शक्ति विकास	39	31
8	अध्ययन दौरा	30	28
9	सेमिनार	15	8
10	समूह संपर्क कार्यक्रम	5	4
11	मीडिया गतिविधि		
	क) टेलिविज़न/रेडियो वार्ता	22	8
	ख) साहित्य वितरण	90	4755
12	आई.पी.एम.आँकड़ा संग्रहण	6230	4554

तकनीकी मूल्यांकन केन्द्र

तकनीकी मूल्यांकन केन्द्रों ने कम मूल्य परिदृश्य में भी उत्पादकता एवं क्वालिटी उन्नयन हेतु विभिन्न तकनीकों के निरूपण के जरिए गहन खेती पद्धति पर कॉफी उपजकर्त्ताओं को प्रेरित करने के अलावा विभिन्न पौधा सामग्री क्षेत्र /स्थान विशेष कार्य प्रणाली पैकेजों के मूल्यांकन हेतु केन्द्रों के रूप में कार्य करना जारी रखा ।

बीज कॉफी की आपूर्ती

बोर्ड के अनुसंधान और निरूपण फार्मों से बीज कॉफी तैयार करने के लिए उच्च उपज देनेवाले और रोगरोधी पौधा सामग्री का चयन किया गया । बीज कॉफी की कुल 3844.5 किलो ग्राम की मात्रा प्राप्त की गई और उपजकर्त्ताओं में वितरित की गई । इसमें 3315 कि.ग्रा. अरेबिका सिलक्शन और 529.5 कि.ग्रा. रोबस्टा सिलेक्शन के बीज सामग्री शामिल थी ।

सीजन 2004-05 के बीज कॉफी वितरण (पारंपरिक क्षेत्रों में) का विवरण नीचे प्रस्तुत है। 2003-2004 सीज़न की तुलना में 2004-05 के दौरान बीज कॉफी की माँग ज्यादा थी।

क्र सं	राज्य	बीज कॉफी वितरण (किलो ग्राम में)		
		अरेबिका	रोबस्टा	योग
1	कर्नाटक	2480	450.5	2930.50
2	केरल	20	26	46
3	तमिलनाडु	815	53	868
	महायोग	**3315**	**529.5**	**3844.50**

कृषक सहभागी प्रणाली कार्यक्रम

कृषक सहभागी प्रणाली कार्यक्रम (एफ.पी.एम) छोटे कॉफी उपजकर्त्ताओं को तकनॉलाजी के अन्तरण के प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जाता है । एफ.पी.एम. कार्यक्रम द्विमासिक आधार पर चलाए गए जिसमें उपजकर्ता, विस्तरण कार्मिक एवं वैज्ञानिकों के मध्य विचार विमर्श का एक फोरम बनाने के साथ कॉफी उत्पादन से संबंधित सीज़न विशेष मुद्दों का हल निकाला गया । बैठकों के दौरान विस्तरण कार्मिकों ने यह सुनिश्चित किया कि एफ.पी.एम. में संबंधित समूह सदस्यों की सक्रिय सहभागिता हो ।

वैज्ञानिकों के द्वारा कॉफी तकनीकों को और भी समंजित करने हेतु, एफ.पी.एम. बैठकों में विस्तरण कार्मिकों से संग्रहित प्रतिपुष्टियाँ देने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों में विस्तरण कार्मिकों एवं वैज्ञानिकों के साथ द्वैमासिक कार्यशालाएं चलाई गई।

उपजकर्त्ताओं द्वारा पहचाने गए स्थान विशेष से संबंधित समस्याओं को चिन्हित करने की दिशा में इन एफ.पी.एम. बैठकों के कारण लाभ हुआ है । इसके साथ साथ क्वालिटी कॉफी में सुधार और समग्र उत्पादन में उन्नति हेतु देशज अथवा आशोधित कॉफी तकनॉलाजी को सामने लाने में इन बैठकों का बड़ा योगदान रहा ।

वर्ष 2004-05 के दौरान कुल 86 एफ. पी.एम. समूह बनाए गए और 168 कार्यशालाएं आयोजित की गई । एफ.पी.एम. कार्यक्रम के एक घटक के रूप में एफ.पी.एम. समूहों के लिए अध्ययन दौरे आयोजित किए गए ताकि दक्षिण भारत के विभिन्न कॉफी भूभागों में अपनाई जानेवाली कॉफी तकनॉलाजी के विभिन्न पहलुओं पर मूलभूत अनुभव प्राप्त किया जा सके ।

सामूहिक सम्पर्क कार्यक्रम

उत्पादन/उत्पादकता में सुधार लाने, नाशीकीट एवं रोग नियंत्रण और कॉफी की क्वालिटी में उन्नति लाने में आवश्यक सलाह देने के लिए विस्तरण स्कन्ध द्वारा विभिन्न भूभागों / राज्यों में सामूहिक सम्पर्क कार्यक्रम चलाए गए । लक्षित गांवों में स्थित कॉफी जोतों का दौरा करने के पश्चात विस्तरण और अनुसंधान अधिकारियों ने संपर्क कार्यक्रम के दौरान उपजकर्त्ताओं को समुचित सलाह दिए । अभियान के दौरान संग्रहीत मिट्टी /पत्तों के नमूनों का विश्लेषण किया गया और उपजकर्ताओं को खाद डालने / चूना डालने इत्यादि पर सलाह दिए गए ।

मानव संसाधन विकास

1.04.2004 से 31.03.2005 तक के अवधि में निम्नोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए थे ।

- ❖ नए भर्ती 10 क.सं.अ., अ.स. व स.वि.नि. को प्रारंभिक प्रशिक्षण।
- ❖ कर्नाटक / तमिलनाडु क्षेत्रों के बोर्ड के अधिकारियों के लिए परजीव्याभ अपनेशिया एस.पी.के प्रयोग से वाईट स्टेम बोरर के जैव नियंत्रण पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ❖ कॉफी का ऑन-फार्म संसाधन पर मार्गदर्शन देने हेतु आन्ध्र प्रदेश फारेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अधिकारियों के लिए एक अध्ययन दौरा ।
- ❖ छोटे उपजकर्त्ताओं को मधुमक्खी संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ❖ श्रम कल्याण उपायों के तहत 'नैशनल सोशियल सेक्यूरिटी नंबर'-ई.पी.एफ पर कार्यशाला। निजी एस्टेट ,कंपनी एस्टेटों के प्रतिनिधि और ई.पी.एफ क्षेत्रीय कार्यालय, चिकमगलूर से श्रमिक प्रतिनिधि और अधिकारियों ने भाग लिया।
- ❖ बोर्ड और आई .आई.पी.एम. के सहभागित्व में आयोजित कॉफी एस्टेटों के आर्थिक प्रबन्धन पर एक हफ्ते के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 36 कॉफी उपजकर्त्ता और 8 विस्तरण अधिकारियों ने भाग लिया ।
- ❖ कॉफी कर्षण विषयक एक दिन के प्रशिक्षण में 14 उपजकर्त्ता/ अधीक्षक कर्मचारी / फार्म कार्मिकों ने भाग लिया।
- ❖ अभ्यासों की पैकेज, गुणता कॉफी तैयार करना, जैविक फार्मिंग, विशाखन, पार्चमेंट कॉफी तैयार करना और क्वालिटी बनाए रखने में 263 उपजकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया ।
- ❖ नर्सरी विषयों पर 60 उपजकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया ।
- ❖ नाशीकीट के जैविक नियंत्रण को शामिल कर वाईट स्टेम बोरर प्रबन्धन पर 32 उपजकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया ।
- ❖ के.वी.के. के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 266 महिला कामगारों को बागान में नर्सरी उगाने की तकनीक, रख-रखाव, काम्पोस्ट बनाने, वर्मिन संवर्धन, पाक -कला, मशरूम संवर्धन, मधुमक्खी का दरबा बनाने, कुक्कुट पालन, शूकर पालन, मछली पालन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया ।
- ❖ गान्धीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के 175 छात्र और 12 बी.एस.सी. (उद्यानविज्ञान) छात्रों ने कॉफी कर्षण के विभिन्न विषयों पर हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

स्वयं सहायता समूहों की स्थापना

क्षमता निर्माण एवं कर्षण क्रिया कलापों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने में सहायता करने के लिए छोटे

उपजकर्त्ताओं में वर्ष 2004-05 के दौरान 42 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया । इन स्व.स.स. को एकमुश्त अनुदान के तौर पर बोर्ड ने कुल 77.15 लाख रूपयों की वित्तीय सहायता दी है ।

ब्याज उपदान स्कीम

व्यापक कॉफी पैकेज के एक भाग के रूप में छोटे और बडे उपजकर्त्ताओं द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान आर्थिक संस्थाओं से ली गई कार्यशील पूँजी ऋणों पर क्रमशः लिए गए 5% और 3% दर के ब्याज उपदान को विस्तरित करने के एक प्रस्ताव को बोर्ड ने भारत सरकार को भेजा है, जो विचारणाधीन है।

छोटे उपजकर्त्ता सेक्टर स्कीम को समर्थन

बोर्ड ने अपनी 10 वीं पंचवर्षीय योजना में छोटे कॉफी उपजकर्त्ता सेक्टर को पुनर्रोपण, जल आवर्धन और फार्म स्तर पर गुणता कॉफी उत्पादन और प्रदूषण निवारण उपायों को अपनाने के लिए उपदान के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान किया । वर्ष 2004-05 के दौरान लाभान्वितों / व्याप्त क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र सं	योजना	इकाईयों /लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र (हे.में)
I.	पुनर्रोपण	290	493
II.	जल आवर्धन	711	2675
III.	गुणता उन्नयन	445	2180
IV.	प्रदूषण निवारण	1	7
	योग	**1447**	**5355**

कॉफी रोपण सामग्रियों के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए लघु स्वयं सहायता समूहों का गठन

समूह माध्यम द्वारा क्षमता निर्माण को प्रेरित करने और कर्षण क्रियाकलापों में एकीकरण लाने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में अरेबिका रोपण सामग्री उगाने के लिए छोटे कॉफी उपजकर्त्ताओं में से लघु स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया । बोर्ड के अनुसंधान एवं विस्तरण फार्मों में उगाए गए पौधों के अतिरिक्त आवश्यक संख्या में अरेबिका पौद किस्म उगाने के लिए लघु स्वयं सहायता समूहों के साथ निजी नर्सरियों को भी प्रोत्साहन दिया गया । विस्तरण कार्मिकों ने छोटे उपजकर्त्ताओं / समूहों / अवस्थिति की पहचान की तथा निविष्टों की आपूर्ती का अनुश्रवण किया और पौदों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए सलाह दिए और पौद किस्म की योजना स्कीम चालू करने के द्वारा उन नर्सरियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए ।

अध: संरचनात्मक ढाँचे का विकास

2004-05 के दौरान अध: संरचनात्मक ढाँचे के विकास के लिए 408.79 लाख रूपयों का खर्च हुआ है, जिसमें बोर्ड के तकनीकी मूल्यांकन केन्द्र और अनुसंधान फार्मों में निर्मित चेक डैम, निस्त्रव शोधन संयंत्र, बोरवेल, खुले कूप, पंप हाउस, सूखाने का यार्ड, उर्वरक, गोदाम, प्रतिधारण दीवारें, डब्ल्यू.बी.एम रोड, कार्यालय भवन, कर्मचारी/कामगारों के क्वार्टर्स आदि हैं। इसी अवधि के दौरान चिकमगलूर में कॉफी काम्प्लेक्स का निर्माण भी पूरा हुआ ।

2004-05 की विस्तरण सेवाओं का प्रमुख अंश

विस्तरण सेवा द्वारा 3,19,790 हेक्टेयर में फैले हुए 1,47,575 कॉफी एस्टेटों में तकनीक के प्रभावी अंतरण को केन्द्रीकृत किया गया ।

विस्तरण सेवाओं के अन्तर्गत कॉफी कर्षण के अनेक पहलुओं पर मुद्रित साहित्य देने के अलावा नियमित एस्टेट दौरे, सामूहिक जमाव और सेमीनार के आयोजन पर ध्यान दिया गया।

फसल प्रागुक्ति, फसल अभिवृद्धि का अनुश्रवण और नाशिकीट एवं रोगों की घटना की निगरानी रखना और आई.एस.एस/एस.एस.जी.एस./सी.बी.बी/ डब्ल्यू.एस.बी/एस.एच.जी. के योजना स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया ।

1,03,400 मे.ट. अरेबिका और 1,72,100 मे.ट रोबस्टा को मिलाकर 2004-05 के कॉफी उत्पादन को 2,75,500 मे.ट बताया गया था ।

एफ.पी.एम. व आई.पी.एम.कार्यनीतियों द्वारा कॉफी बेरी बोरर का एकीकृत प्रबन्धन आई.सी.ओ- सी.एफ.सी परियोजना के तहत कार्यान्वित किया गया ।

दस तकनीकी मूल्यांकन केन्द्र कॉफी तकनीक के प्रसारण और विभिन्न कॉफी के पौधों के निष्पादन और प्रदेश/स्थान विशिष्ट अभ्यासों के पैकेज के विकासन में केन्द्रक के रूप में कार्य करते रहें ।

त.मू.के. में मानव संसाधन विकास स्कीम भी कार्यान्वित हुए और प्लांटेशन सेक्टर के 323 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ ।

विस्तरण क्रियाकलापों का उद्देश्य नाशीकीटों पर जागरूकता पैदा करना, गाँव स्तरीय बैठक आयोजित करना, समूह संपर्क कैंप, जागरूकता कैंप आयोजित करना, सलाह हेतु रेडियो व मुद्रण मीडिया के अलावा नियमित एस्टेट दौरों की व्यवस्था करना भी था । उपजकर्त्ताओं को बेरी बोरर प्रबन्धन विषय हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बिनने की चटाई और एण्डोसल्फान वितरित करने के कार्य को ज्यादा महत्व दिया गया।

वर्ष के दौरान विस्तरण अधिकारियों ने सेमिनार एवं ग्रामीण बैठकों का आयोजन किया, समीक्षा बैठकें, क्षेत्रीय वि.स.स.बैठकें, क्षे.स.स. बैठकें, परिसंवाद, उपजकर्त्ताओं से भेंट , प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कृ.भा.प्र. कार्यक्रम आदि में भाग लिया ।

कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में वाईट स्टेम बोरर प्रबन्धन हेतु कॉफी नाशिकीट प्रबन्धन विषयों पर समय समय पर कॉफी उपजकर्त्ताओं को शिक्षा देने हेतु कुल 165 एकीकृत नाशिकीट प्रबन्धन प्रदर्शनी प्लाटों को संधारित किया गया ।

बोर्ड के अनुसन्धान व निरूपण फार्मों में से कॉफी उपजकर्त्ताओं को 3844.5 कि.ग्रा. उच्च उपज देनेवाले बीज कॉफी व रोग रोधी पौधे दिए गए ।

2004-05 वित्तीय वर्ष के दौरान कॉफी उगानेवाले प्रदेशों के 4 अलग अलग स्थानों में समूह सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

बोर्ड के अनुसन्धान स्टेशन और राष्ट्रीय स्तर के मेनेजमेन्ट संस्थानों में विस्तरण व अनुसंधान कर्मचारियों को प्रशिक्षण व पुनराभिविन्यास पाठ्यक्रम चलाए गए।

विस्तरण अधिकारियों ने ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण हेतु कॉफी कर्षण पर रेडियो वार्ता में भाग लिया ।

नाशीकीट के विभिन्न अवस्थाओं का पता लगाने और उन्हें निष्कासित करने के लिए 'वाईट स्टेम बोरर(डब्ल्यू.एस.बी) परिसर-हितैषी पकड़ो और मारो कार्यक्रम' नामक एक मार्गदर्शी योजना को कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना के तहत कुल 15,399 हेक्टेयर प्रदेश को व्याप्त करते हुए प्रोत्साहन के रूप में 2.26 करोड रूपये दिए गए । कुल 88,26,855 ग्रब, 17,01,235 प्यूपे एवं 8,46,695 वयस्कों को नाश किया गया।

एस.एस.जी.एस.स्कीम के तहत पुनर्रोपण, जल आवर्धन एवं फार्म स्तर पर गुणता कॉफी की तैयारी और प्रदूषण उपशमन उपायों को लागू करने के लिए सहाय्य के रूप में वित्तीय आलंबन प्रदान करते हुए 5335 हेक्टेयर प्रदेश के छोटे उपजकर्त्ताओं को 231.53 लाख रूपये वितरित किए गए ।

ख) गैर- पारंपरिक क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश व उडीसा) एवं पूर्वोत्तर प्रदेश

क. पूर्वोत्तर प्रदेश:

कॉफी अधीन क्षेत्र:

पूर्वोत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में कॉफी क्षेत्र का वितरण नीचे प्रस्तुत है ।

क्र. सं.	राज्य	कॉफी अधीन क्षेत्र (हे)	प्रभावी फलन क्षेत्र (हे)
1.	असम	2237	791
2.	मेघालय	2206	1864
3.	नागालैंड	4542	2765
4.	मिज़ोरम	3328	463
5.	मणिपुर	1192	20
6.	त्रिपुरा	1025	130
7.	अरूणाचल प्रदेश	1148	141
	योग	**15678**	**6174**

फसल प्राक्कलन :

खराब संधारण और कम पौधों की संख्या जैसे विभिन्न विषयों के कारण कॉफी का उत्पादन समूचे प्रदेश में कम ही रहा । समग्र परिस्थिति और प्रभावी फलन क्षेत्र को मानते हुए 2004-05 सीज़न के अरेबिका के 158 मे.ट. और रोबस्टा के 90 मे.ट को शामिल कर कुल प्राक्कलित फसल 248 मे.ट है । 2005-06 सीज़न के लिए फसल प्रागुक्ति 260 मे.ट.है जिसमें 166 मे.ट अरेबिका और 94 मे.ट. रोबस्टा है ।

वर्ष के दौरान चलाए गए प्रमुख विस्तरण क्रिया कलाप :

क) 509 कॉफी उपजकर्त्ता और अन्य एजेन्सियों को 807.60 कि ग्रा कावेरी किस्म (अरेबिका) और 362.00 कि ग्रा सी x आर किस्म (रोबस्टा) को शामिल करते हुए कुल 2169.60 कि.ग्रा. बीज कॉफी वितरित किया गया।

ख) कुल 205 समूहन जमावों का आयोजन हुआ था जिसमें पौधा लगाना और बाद के देखभाल, नाशिकीट और रोगों का प्रबन्धन और कॉफी का उत्पादन व गुणता उन्नयन के अन्य अभ्यासों पर बोर्ड के विस्तरण अधिकारियों से चर्चा की गई ।

ग) नर्सरी अभ्यास, छाया, झाडी और नाशिकीट एवं रोग प्रबन्धन अभ्यासों पर कुल 509 पद्धति निरूपण चलाए गए ।

घ) 261 सैप जोतों को विविध संवर्धन संक्रिया करने की सूची के साथ सलाहकार पत्र भेजे गए ।

ड) गोलपारा, बिजनी, हैफलांग, नागालैंड और मिज़ोरम में 6 कृषक भागीदारी प्रणाली कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

च) स्थानीय उद्यमी, राज्य सरकार के कर्मचारी और कॉफी बोर्ड के अधिकारियों के लाभ हेतु अइज़वाल में 30 नवंबर से 2 दिसंबर 04 तक 3 दिन का कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

छ) कॉफी उपजकर्त्ताओं के दो बैचों को फार्म प्रशिक्षण दिया गया । एक बैच त्रिपुरा राज्य का था और दूसरा असम के एन सी हिल्स हैफलांग से था। उन्हें सी डी एफ, बुआलपुई, मिज़ोरम के अध्ययन दौरे पर ले जाया गया था ।

ज) नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित दूसरा नार्थ ईस्ट ट्रेड एक्स्पो 2005 में कॉफी बोर्ड, पूर्वोत्तर प्रदेश ने भाग लिया । पूर्वोत्तर प्रदेश में कॉफी विकास क्रिया कलापों को दर्शाने वाला एक पेविलियन बोर्ड ने लगाया था । मोस्ट कमर्शियली प्रामिसिंग प्राडक्ट रेन्ज प्रदर्शन के लिए कॉफी बोर्ड पेविलियन को विशेष प्रशंसा मिली।

2004-05 के लिए 'पूर्वोत्तर प्रदेशों में कॉफी विकास' नामक चालू स्कीम के तहत प्रत्यक्ष और वित्तीय उपलब्धियाँ :

राज्य	कार्यक्रम	लाभान्वित क्षेत्र (हे)	उपदान वितरण (रू लाखों में)	हितभागियों की संख्या
असम	विस्तारण समेकन	132.55 70.00	10.69 5.10	149 44
	योग	**202.55**	**15.79**	**193**
अरूणाचल प्रदेश	विस्तारण समेकन	98.00 10.00	5.88 0.60	56 2
	योग	**108.00**	**6.48**	**58**
मेघालय	विस्तारण समेकन	66.00 35.00	5.33 2.40	127 7
	योग	**101.00**	**7.73**	**134**
नागालैंड	विस्तारण समेकन	571.75 201.50	42.49 12.23	463 114
	योग	**773.25**	**54.72**	**577**
मिज़ोरम	विस्तारण समेकन	268.20 0.00	20.91 0.00	429 0.00
	योग	**268.20**	**20.91**	**429**
त्रिपुरा	विस्तारण समेकन	112.45 3.00	8.41 0.27	215 4
	योग	**115.45**	**8.68**	**219**
पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए योग	**विस्तारण समेकन**	**1248.95 319.50**	**93.71 20.60**	**1439 171**
	योग	**1568.45**	**114.31**	**1610**

बाजार समर्थन स्कीम :

इस स्कीम के तहत जनजाति कॉफी उपजकर्त्ताओं को कॉफी प्राप्त करने, प्रसंस्कृत करने और विपणन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए ।

2004-05 की प्रत्यक्ष और वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :

पूल की गई कॉफी की किस्म	पूल की गई मात्रा (कि.ग्रा.में)	उपदान व्यय
अरेबिका	**56,032.30**	**4.87 लाख रू**
रोबस्टा	**1,06,269.50**	
योग	**1,62,301.80**	

तकनीक मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी):

पूर्वोत्तर प्रदेश में 5 तकनीक मूल्यांकन केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 2 त.मू.कें. यानि बुआलपुई (मिज़ोरम) और त मू कें देवमली (अरूणाचल प्रदेश) ने उस प्रदेश के लिए अपेक्षित बीहन कॉफी उत्पादक केन्द्र के अलावा निरूपण व प्रशिक्षण केन्द्र के जैसे काम करना चालू रखा ।

स्व.स.स. द्वारा गुणता उन्नयन:

गुणता उन्नयन के एक भाग के रूप में स्व.स.स. के तहत प्रदेश के अलग अलग स्थानों में जनजाति उपजकर्त्ताओं के हित हेतु 10 बेबी पल्पर्स लगाए गए हैं । वर्ष 2004-05 के दौरान 6.257 मे.ट. की कुल मात्रा का पार्चमेंट कॉफी तैयार किया गया है।

ख. गैर पारंपरिक क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा)

गै पा क्षे में कॉफी की वर्तमान स्थिति:

आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में कॉफी अधीन क्षेत्र और उपजकर्त्ताओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	राज्य	उपजकर्त्ताओं की संख्या			कॉफी का क्षेत्र (हे)		
		छोटे	बडे	योग	फलन क्षेत्र	न फलने वाला क्षेत्र	कुल धारित क्षेत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	39,515	06	39,521	16,164	10,233	26,397
2	उड़ीसा	717	16	733	1,048	1,217	2,265
	योग	**40,232**	**22**	**40,254**	**17,212**	**11,450**	**28,662**

फसल प्राक्कलन

2004-05 सीज़न का गै पा क्षे का अन्तिम फसल प्राक्कलन 4144 मे.ट. बताया गया है जिसमें 3930.50 मे.ट. आन्ध्र प्रदेश का और शेष 213.50 मे.ट. उड़ीसा से है ।

गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रमुख विस्तरण क्रिया कलाप

क) आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा के जनजाति उपजकर्त्ता और एजेन्सियों को अरेबिका किस्म के विभिन्न प्रकार के बीज कॉफी की कुल 5866.50 कि.ग्रा. की मात्रा वितरित की गई।

ख) इन्टेग्रेटड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेन्सी (आई टी डी ए) पदेरू की आर्थिक सहायता से 144 लाख कॉफी पौदों को सामुदायिक व बैकयार्ड नर्सरियों में उगाया गया और उन नर्सरियों में उगाने और बाद की देखभाल के लिए तकनीकी सहायता कॉफी बोर्ड ने दी ।

ग) इन्टेग्रेटड ट्राइबल डेवलपेंट एजेन्सी (आई टी डी ए) पदेरू द्वारा कुल 15.01 लाख गोल मिर्च पौद उगाए गए और जनजाति उपजकर्त्ताओं को मुफ्त वितरित किए गए । यह काम कॉफी में विविधता और एक एकक क्षेत्र में फसल की अधिकता हेतु किया गया। इस कार्य के लिए कॉफी बोर्ड ने आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया।

घ) सी.डी.एफ. मिनिमल्लूर और आर.सी.आर.एस. आर.वी.नगर में कुल 1373 जनजाति उपजकर्ता और राज्य सरकार/आई.टी.डी.ए. के कर्मचारियों को कॉफी नर्सरी और आन-फार्म अभ्यासों के प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिया गया ।

ड) आई टी डी ए से पहचाने गए 100 विशेषज्ञों को कॉफी बागान प्रबन्धन पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

च) जनजाति उजकर्त्ताओं को सीमेंन्ट के सुखाने के यार्ड बनाने और क्वालिटी कॉफी तैयार करने में शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक क्वालिटी जागरूकता कैंप आयोजित किए गए ।

छ) 10 कॉफी उपजाने वाले गाँवों में कुल 28 कृषक भागीदारी प्रणाली कार्यशालाएँ आयोजित की गई और 292 जनजाति उपजकर्त्ता लाभान्वित हुए ।

ज) अध्ययन दौरे पर आन्ध्र प्रदेश के कुल 52 उपजकर्ताओं ने पारंपरिक कॉफी उपजाऊ क्षेत्रों का संदर्शन किया ।

झ) मिट्टी नमूनों पर जनजाति उपजकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया और बहुत सारे नमूनों को संग्रहित कर विश्लेषण करके संबंधित उपजकर्त्ता को उचित सिफारिश के साथ दिया गया ।

ञ) जैविक कॉफी कृषि प्रोन्नति के लिए एक गैर सरकारी संगठन 'नन्दी फाउन्डेशन' ने अरकुवैली में 73 गॉवों में फैले 992 लाभान्वितों को शामिल कर 892.75 एकड प्रदेशों को गोद लिया है ।

त) आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा में 36 हल्लिंग एककों की स्थापना हुई ।

थ) वर्ष 2004-05 के दौरान 'मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम' में कुल 1810 उपजकर्ता भर्ती हुए।

द) श्रम कल्याण उपायों के तहत गै पा क्षे में काम करने वाले कारगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति व सराहनीय पुरस्कार के रूप में 5.81 लाख रूपये मंजूर हुए जिससे 380 छात्र लाभान्वित हुए ।

ध) 'फ्लेवर ऑफ इण्डिया कप्पिंग प्रतियोगिता 2005' के लिए प्राप्त हुए 14 नमूनों में से अंतिम राउन्ड के लिए 2 नमूने चुने गए ।

तकनीकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी) :

मिनिमल्लूर (आन्ध्र प्रदेश) और कोरापुट (उड़ीसा) के तकनीकी मूल्यांकन केन्द्रों ने उस क्षेत्र के लिए अपेक्षित बीज कॉफी के उत्पादन केन्द्र के अलावा निरूपण-प्रशिक्षण केन्द्र के जैसे काम करना जारी रखा।

मिनी क्यूरिंग वर्क्स :

2005 के दौरान चिन्तपल्ली, आन्ध्र प्रदेश के मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स (दिसंबर 2003 में स्थापित) को एक ग्रेडर दिया गया ।

2004-05 में 'गैर पारंपरिक क्षेत्र में कॉफी विकास ' स्कीम के तहत प्रत्यक्ष व वित्तीय उपलब्धियाँ

9 वीं योजना के दौरान कार्यान्वित 'गैर-पारंपरिक क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम' 10 वीं योजना में भी चालू योजना के रूप में जारी रहा । वर्ष 2004-05 में प्राप्त प्रत्यक्ष व वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नोक्त प्रकार है :

क्र सं	योजना विवरण	लाभान्वित उपजकर्त्ताओं की संख्या	विस्तार (हे)	संवितरित उपदान
1	उड़ीसा में कॉफी विस्तारण	558	460.04	20.70 लाख
2	आन्ध्र प्रदेश में कॉफी समेकन	1138	632.16	31.60 लाख
3	गुणता उन्नयन क. पल्पर्स (एकक) ख. हल्लर्स (एकक)	01	—	0.37 लाख

अध्याय -VI

आन्तरिक एवं बाह्य प्रोन्नति

क) बाह्य प्रोन्नति

बाह्य प्रोन्नति के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित कार्रवाई की :

- ❖ प्रमुख/सम्भावी समुद्रपारीय बाजारों में प्रत्यक्षत: तथा भारत व्यापार प्रोन्नति संगठन (आई.टी.पी.ओ) के जरिए चयनित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी ।
- ❖ प्रख्यात समुद्रपारीय कॉफी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन रिलीज़ करना ।
- ❖ भारतीय निर्यातकों और समुद्रपारीय खरीददारों के साथ महत्वपूर्ण बाजारों में खरीददार-विक्रेता बैठकें आयोजित करना ।
- ❖ भारतीय कॉफी के क्वालिटी पहलुओं की विशेषता बताने के लिए सम्भावी बाजारों में भारतीय कॉफी के कप्पिंग सत्र आयोजित करना ।
- ❖ भारतीय कॉफी की प्रकृति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण बाजारों में संचार आरम्भ करना।
- ❖ भारतीय कॉफी ट्रेक्ट में खरीददारों / भुनाईकार प्रतिनिधियों के दौरों का प्रबन्ध करना और भारतीय कॉफी पणधारियों के साथ अन्त: क्रिया बैठकों का प्रबन्ध करना ।
- ❖ प्रकाशन सामग्री और फिल्म, सी.डी. आदि जैसे अन्य संचार साधनों का सृजन करना ।

समुद्रपारीय प्रदर्शनियाँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने भारतीय कॉफी निर्यातकों के सक्रिय भागीदारी से निम्नलिखित समुद्रपारीय प्रदर्शनियों / खरीददार विक्रेता बैठकों में भाग लिया।

- ❖ 16 वाँ वार्षिक एस.सी.ए.ए.सम्मेलन व प्रदर्शनी, अटलान्टा, जार्जिया - 23-26 अप्रैल, 2004
- ❖ विश्व बेरिस्टा चेम्पियनशिप 2004, ट्रियस्टी, इटली -18-20 जून, 2004
- ❖ फाइन फूड, ऑस्ट्रेलिया - 06-09 सितम्बर, 2004
- ❖ फूड एण्ड होटल चाइना 2004, शांघाई - 14-17 सितम्बर, 2004
- ❖ वर्ल्ड फूड फेयर,मॉस्को, रूस - 21-24 सितम्बर, 2004
- ❖ टी व कॉफी वर्ल्ड कप एशिया 2004, सिंगापुर 10-12 अक्तूबर, 2004
- ❖ होस्टेलको फूड ट्रेड शो, बार्सिलोना, स्पेन - 23-27 अक्तूबर, 2004

- ट्रियस्टी एसप्रेस्सो एक्सपो 2004, ट्रियस्टी, इटली- 05-07 नवम्बर, 2004
- चौथा एस.सी.ए.ई विश्व स्पेशलिटी कॉफी सम्मेलन व प्रदर्शनी, एथेन्स, ग्रीस - 04-07 मार्च, 2005
- फूडेक्स 2005, टोकियो, जापान - 08-11 मार्च, 2005

ख) आन्तरिक प्रचार :

बोर्ड ने कॉफी के भूनने , पीसने और ब्रू करने के सही तकनीक को लोकप्रिय बनाते हुए शुद्ध कॉफी की खपत को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए ताकि उपभोक्ता इस उत्तेजक पेय का आनन्द ले सकें।

आन्तरिक प्रदर्शनियाँ :

वर्ष के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित आन्तरिक प्रदर्शनियों में भाग लिया :

- एग्री इन्टेक्स-2004, कोयम्बत्तूर - 20-25 अगस्त, 2004
- 111 वाँ उपासी सम्मेलन व औद्योगिक प्रदर्शनी, कून्नूर - 6-7 सितम्बर, 2004
- फूड टेक इण्डिया 2004, कोलकात्ता - 01-04 अक्तूबर, 2004
- तीसरा वार्षिक कॉफी टी इण्डिया 2004, जयपुर - 29-31 अक्तूबर, 2004
- भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली -14-27 नवम्बर, 2004
- फूड एक्सपो 2004, चण्डीगढ़ - 03-06 दिसम्बर, 2004
- सहकारी आन्दोलन शताब्दी समारोह, अखिल भारतीय प्रदर्शनी क्विलोन-14 दिसम्बर 2004, -09 जनवरी, 2005
- गणतंत्र दिवस बागवानी शो, लाल बाग, बेंगलूर- 20-26 जनवरी, 2005
- फ्लवर शो 2005, कलपेट्टा -22-31 जनवरी, 2005
- सिलीगुडी व्यापार मेला 2005 , सिलीगुडी पश्चिम बंगाल - 25-28 फरवरी, 2005
- आहार 2005 , नई दिल्ली - 04-08 मार्च, 2005

इण्डिया कॉफी हाउस /डिपो :

देश भर में फैले दस इण्डिया कॉफी हाऊस जैसे संसद भवन, नार्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, उद्योग भवन, (सभी नई दिल्ली में) कोलकाता, तिरूमला, आई.आई.एस.सी , बेंगलूर और कॉफी बोर्ड , मुख्य कार्यालय, बेंगलूर और नई दिल्ली, मुम्बई और बेंगलूर में तीन आई.सी.डी. शुद्ध कॉफी पाउडर, तरल कॉफी और अन्य खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कर रहे हैं ।

कॉफी इयर बुक :

कॉफी बोर्ड व भारतीय कॉफी उद्योग के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाओं से युक्त कॉफी इयर बुक 2005 का प्रकाशन कर परिचालित किया गया ।

इण्डियन कॉफी पत्रिका :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की मासिक पत्रिका 'इण्डियन कॉफी ' का चार भाषाओं में (अंग्रेजी, कन्नड, तमिल और मलयालम) प्रकाशन हुआ । पत्रिका के अंग्रेजी संस्करण में हिन्दी भाषा का एक खण्ड है।

अध्याय VII

निर्यात एवं मार्केट इंटेलिजेंस

भारत के विदेश व्यापार में कॉफी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और पर्याप्त विदेशी विनिमय कमाता है । विश्व के कॉफी निर्यात में भारत का शेयर लगभग 4.38% है ।

उदारीकरण से पूर्व , भारत तथा विदेशों में भारतीय कॉफी के विपणन के लिए कॉफी बोर्ड जिम्मेदार था। उस अवधि में भारत में उत्पादित समग्र कॉफी आवधिक रूप से आयोजित निर्यात तथा घरेलू नीलामियों के जरिए विपणन करने हेतु बोर्ड को पूल किए जाते थे।

1996/97 में कॉफी उद्योग में उदारीकरण के आगमन से विपणन सेक्टर में एक नए युग का आरम्भ हुआ । बोर्ड ने अपनी कॉफी पूलिंग प्रणाली से हटते हुए नियंत्रित प्रणाली से मुक्त विक्रय के लिए रास्ता बना दिया । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न निर्यात प्रोन्नति उपायों को बनाए रखने और अपने बाजार शेयर को सुधारने के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा कॉफी के निर्यात हेतु सहायक के रूप में कॉफी बोर्ड की भूमिका को पुन: परिभाषित किया गया है । बोर्ड अभी भी कॉफी निर्यातकों के पंजीकरण हेतु प्राधिकृत है और कॉफी निर्यात हेतु उसके सदस्य निर्यातकों से प्राप्त आवेदन पर निर्यात परमिट और मूल प्रमाणपत्र जारी करता है।

भारत अब भी अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, लन्दन का सदस्य है और इसने आई.सी.ओ. द्वारा निर्धारित क्वालिटी मानकों के अनुसार कॉफी निर्यात पर लक्षित आई.सी.ओ. के क्वालिटी सुधार कार्यक्रमों को पृष्ठांकित किया । कॉफी बोर्ड कॉफी के निर्यात की मानीटरिंग कर रहा है और आई.सी.बी/ आई.सी.ओ. मानकों के अनुसार विदेशों को केवल क्वालिटी कॉफी निर्यात करने हेतु निर्यातकों को परमिट जारी कर रहा है ।

कॉफी निर्यातों को नियमित / सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यात अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है।

निर्यातक पंजीकरण व नवीनीकरण :

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान 26 नए निर्यातक फार्मों को कॉफी निर्यात करने हेतु पंजीकृत किया गया है और 67 फार्मों का पंजीकरण रद्ध किया गया है। 31 मार्च 2005 को यथास्थिति पंजीकृत कॉफी निर्यातकों की कुल संख्या 435 है ।

परमिट :

कॉफी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कॉफी के सभी निर्यातों के लिए परमिट जारी किए गए और

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता के प्रावधान के अनुसार मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए ।

वेबसाइट के जरिए निर्यात परमिट आवेदन दायर करना :

निर्यात परमिट को जारी करने की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से वेबसाइट http://www.kar.nic.in/exportcoffee के जरिए निर्यात परमिट आवेदन दायर करने की सुविधा जारी रही । उपरोक्त सुविधा को लगभग 31 निर्यातकों ने उपलब्ध किया और वर्ष के दौरान जारी किए गए कुल 6434 परमिटों में से इन निर्यातकों को 4126 परमिट जारी किए गए ।

निर्यातकों के साथ अन्त:क्रिया :

निर्यातों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिणामों पर विचार विमर्श करने के लिए निर्यातकों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की गई । समीक्षाधीन अवधि के दौरान 15.4.2004, 1.7.2004 , 7.10.2004 तथा 10.2.2005 को चार बैठकें आयोजित की गई। उपरोक्त बैठक में चर्चित विषय निम्नानुसार हैं :

1. 2003/ 04 के लिए निर्यात निष्पादन पर समीक्षा तथा 2004/05 का निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना।
2. आई .सी.ओ. के क्वालिटी सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
3. निर्धारित निर्यात लक्ष्य के अनुसार 2004/05 के लिए निर्यात निष्पादन की समीक्षा।
4. 2004/05 के लिए निर्यात निष्पादन की सम्पूर्ण समीक्षा।

रिपोर्ट व प्रतिलाभ :

निर्यात अनुभाग मंत्रालय, आई.सी.ओ. को भेजने के लिए कई प्रकार के रिपोर्ट और नियत कालिक विवरणी बना रहा है और ऐसे आँकडों का विकीर्णन करता है जो उनके कॉफी निर्यात क्रियाओं में सहायता देने के लिए निर्यातक समुदाय से सम्बद्ध है । भेजे जाने वाले कुछ रिपोर्ट और विवरणी निम्न हैं -

1. बोर्ड के वेबसाइट, सूचना पट्ट, बोर्ड के अधिकारियों और अन्य व्यापार समुदायों के लिए दिनोंदिन आधार पर निर्यात निष्पादन पर दैनिक रिपोर्ट ।
2. सप्ताह के दौरान निर्यात निष्पादन पर मंत्रालय को साप्ताहिक विवरणी
3. मंजिलवार निर्यात निष्पादन पर मंत्रालय को मासिक विवरणी
4. मंजिल व प्राथमिक निर्यातों पर मात्रा तथा कीमत देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन को मासिक रिपोर्ट
5. मासिक आधार पर आई सी.ओ. को भारत से निर्यातित सभी कॉफी को समाहित करने के लिए जारी आई.सी.ओ मूल प्रमाणपत्र में निहित सांख्यिकीय आँकडा उपलब्ध कराना।

उपरोक्त रिपोर्ट के अलावा, निर्यातकवार, देशवार, किस्म व ग्रेडवार आदि से सम्बन्धित रिपोर्ट बनाए जाते हैं ।

कॉफी के निर्यातयोग्य श्रेणी :

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के कॉफी क्वालिटी सुधार कार्यक्रम के अनुसार अपने संकल्प 407 के तहत बोर्ड ने कॉफी के निर्यातयोग्य और अनिर्यातयोग्य श्रेणियों को पहचाना है ।

परिणामस्वरूप आई .सी.ओ ने अपनी संकल्प संख्या 420 द्वारा संकल्प 407 में व्यापक संशोधन किया। पहले निर्धारित आवश्यक मानकों के प्रतिकूल निर्यातयोग्य कॉफी के लिए 'लक्ष्य

मानक' को पहचाना और निर्यातक सदस्यों से संकल्प सं 420 में निर्धारित पैरामीटर के आधार पर निर्यातित कॉफी पर आई.सी.ओ. मूल प्रमाणपत्र के बॉक्स 17 में 'एस' 'एक्स' 'एक्स डी ' और 'एक्स डी एम' के लेबल लगाने का आग्रह भी किया ।

कॉफी के निर्यातयोग्य किस्म और श्रेणी :

	किस्म	प्रीमियम श्रेणी	व्यावसायिक श्रेणी	स्पेशलिटी कॉफी
I	**हरी कॉफी**			
क)	अरेबिका पार्चमेंट (प्लान्टेशन) (धुली अरेबिका)	पी.बी.बोल्ड ए.ए	पी.बी., ए.बी., सी. *1 बल्क	मैसूर नगेट्स ई.बी.
ख)	अरेबिका चेरी (अनधुली अरेबिका)	पी.बी.बोल्ड ए.ए, ए	पी.बी., ए.बी., सी.*2 बल्क *3	मानसूनीकृत मलबार एए, मानसूनीकृत बासनल्ली, मानसूनीकृत अरेबिका ट्रियेज *4
ग)	रोबस्टा पार्चमेन्ट (धुली रोबस्टा)	पी.बी.बोल्ड,ए	पी.बी., ए.बी.,सी बल्क	रोबस्टा कापी रोयाल
घ)	रोबस्टा चेरी (अनधुली रोबस्टा)	पी.बी.बोल्ड ए.ए, ए	पी.बी., ए.बी., सी. बल्क, क्लीन बल्क	मानसूनीकृत रोबस्टा ए.ए, मानसूनीकृत रोबस्टा ट्रिएज *4
II	इंस्टेन्ट कॉफी			
III	भुनी कॉफी			
IV	भुनी व पिसी कॉफी			

*1 प्लान्टेशन -सी के लिए अपवाद के रूप में आई.सी.ओ.के संकल्प 407/420 के पाद टिप्पणी में वर्णित समतुल्य में सूचित के अनुसार।

*2 अरेबिका चेरी 'सी' को ब्लेक्स, ब्राउन्स व बिट्स रहित होना चाहिए।

*3 अरेबिका चेरी बल्क में ब्लेक्स, ब्राउन्स व बिट्स 10% से कम होना चाहिए।

*4 मानसूनीकृत अरेबिका ट्रिएज व मानसूनीकृत रोबस्टा ट्रिएज ब्लेक्स,ब्राउन्स,बिट्स रहित होना चाहिए ।

निर्यात पुरस्कार :

प्रचार समिति की 139 वीं बैठक के निर्णयानुसार पंजीकृत कॉफी निर्यातकों को उनके मात्रात्मक निष्पादन के आधार पर निम्नलिखित वार्षिक निर्यात पुरस्कार दिया जाना आरम्भ हुआ।

क. श्रेणी : 1. हरी कॉफी
2. स्पेशियालिटी कॉफी और
3. इंस्टेंट कॉफी

ख. श्रेणी : 1. यू.एस.ए.
2. मिडल ईस्ट
3. यूरोपियन संघ
4. रूस व सी.आई.एस.व फार ईस्ट के उत्कृष्ठ निर्यातक

कॉफी का निर्यात :

2004/2005 के दौरान 2,11,566 टनों की (16,452 टनों के पुनर्निर्यात को शामिल कर) कुल मात्रा 75 देशों को निर्यात की गई जिससे 1,223.61 करोड रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ।

निर्यातित कॉफी की मात्रा, कमाई गई विदेशी मुद्रा, समतुल्य भारतीय मुद्रा और इकाई मुल्य का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	मात्रा टन में	भारतीय रु. (लाख)	यू. एस डा (लाख)	इकाई मूल्य	
					रू./ टन	यू. एस डा/टन
1	प्लान्ट - ए	21,488.5	17,907.50	401.94	83,335.27	1,870.49
2	प्लान्ट - पी.बी.	1,559.4	1,161.09	24.45	74,457.48	1,567.91
3	प्लान्ट - बी.	8,344.0	6,170.19	138.60	73,947.63	1,661.07
4	प्लान्ट - सी.	5,081.6	3,168.81	68.64	62,358.51	1,350.76
5	प्लान्ट - बल्क	662.1	519.68	11.70	78,489.65	1,767.10
6	मैसूर नगेट्स - ई बी	817.1	733.07	16.34 8	9,716.07	1,999.76
7	प्लान्ट - ए ए	3,030.8	2,527.60	56.90	83,397.12	1,877.39
8	प्लान्ट - पी बी. बोल्ड	173.2	162.42	3.68	93,775.98	2,124.71
9	अरेबिका चेरी - ए बी	5,551.0	3,508.09	78.55	63,197.44	1,415.06
10	अरेबिका चेरी - पी बी	103.0	55.38	1.22	53,766.99	1,184.47
11	अरेबिका चेरी - सी	381.8	173.89	3.86	45,544.79	1,011.00
12	अरेबिका चेरी - बल्क	5,065.5	3,024.00	68.27	59,697.96	1,347.74
13	मानसून्ड मलबार - एए	2,636.5	2,108.52	47.13	79,974.21	1,787.60

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	मात्रा टन में	भारतीय रु. (लाख)	यू. एस डा (लाख)	इकाई मूल्य	
					रू./ टन	यू. एस डा/टन
14	मानसून्ड बासनल्ली	100.0	64.93	1.47	64,930.00	1,470.00
15	अरेबिका चेरी - एए	107.3	73.52	1.64	68,518.17	1,528.42
16	अरेबिका चेरी - ए	19.2	11.02	0.24	57,395.83	1,250.00
17	रोबस्टा पार्चमेन्ट - ए बी	10,234.1	5,750.92	126.66	56,193.71	1,237.63
18	रोबस्टा पार्चमेन्ट - पी बी	2,861.2	1,357.15	28.50	47,432.90	996.09
19	रोबस्टा पार्चमेन्ट - सी	1,993.2	753.73	17.33	37,815.07	869.46
20	रोबस्टा पार्चमेन्ट - बल्क	59.3	46.01	0.95	77,588.53	1,602.02
21	रोबस्टा कापी रोयाल	4,266.4	2,445.53	54.86	57,320.69	1,285.86
22	रोबस्टा पार्चमेन्ट - एए	305.7	189.42	4.22	61,962.71	1,380.44
23	रोबस्टा पार्चमेन्ट - पी बी बोल्ड	57.6	29.76	0.56	51,666.67	972.22
24	रोबस्टा चेरी - ए बी	37,458.5	14,553.12	329.07	38,851.32	878.49
25	रोबस्टा चेरी - पी बी	866.1	363.71	8.15	41,994.00	941.00
26	रोबस्टा चेरी - सी	35.0	13.95	0.32	39,857.14	914.29
27	रोबस्टा चेरी - बल्क	11,880.9	4,184.38	94.41	35,219.39	794.64
28	रोबस्टा चेरी - बल्क	1,766.2	600.52	13.29	34,000.68	752.46
29	मानसून्ड रोबस्टा - एए	1,147.4	548.73	13.75	47,823.78	1,198.36
30	लिबेरिया बल्क	350.6	157.87	3.48	45,028.52	992.58
31	रोबस्टा चेरी - एए	13,377.5	5,574.36	120.85	41,669.67	903.38
32	रोबस्टा चेरी - ए	13,844.5	5,629.27	120.81	40,660.70	872.62
33	इन्स्टेन्ट	55,849.2	38,721.84	1,080.59	69,332.85	1,934.84
34	भुनी व पिसी	75.1	59.21	1.33	78,841.54	1,770.97
35	भुनी बीज	16.9	11.86	0.26	70,177.51	1,538.46
	योग	**2,11,566.4**	**1,22,361.05**	**2,944.02**	**57,835.77**	**1,391.53**

1-4-2004 से 31-3-2005 तक के दौरान कॉफी का निर्यात
(पुनर्नियात को शामिल कर) - देशवार विवरण

क्र सं	देश का नाम	मात्रा (मे ट में)	मूल्य लाख रू में
1	इटली	49,232.2	25,481.3
2	रूस संघ	34,458.8	23,573.8
3	जर्मनी	16,487.8	10,595.5
4	स्पेन	11,349.1	4,740.8
5	बेल्जियम	9,204.1	4,734.0
6	स्लोवनिया	8,440.8	3,054.3
7	यूक्रेन	6,131.1	4,960.9
8	जापान	5,918.4	4,049.4
9	सं रा अ	5,645.5	2,779.8
10	ग्रीस	5,622.6	2,233.6
11	फ्रान्स	4,283.0	2,240.8
12	मलेशिया	3,680.3	1,853.6
13	फिनलैंड	3,677.3	2,675.6
14	नीदरलैंड्स	3,603.8	2609.7
15	पूर्तगाल	3,252.9	1,350.1
16	स्वीट्जरलैंड	3,244.0	2,279.1
17	जौर्डान	2,727.4	1,585.4
18	कुवैत	2,657.1	2,171.4
19	हंगेरी	2,607.0	1,222.0
20	लाटविया	2,504.0	2,414.3
21	आस्ट्रेलिया	2,393.1	1,352.2
22	यूनाइटेड अरब अमिरेट्स	1,780.6	1,525.3
23	सिंगापुर	1,766.5	970.7
24	ताइवान	1,754.6	917.8
25	इज़राइल	1,528.8	832.6
26	लिबिया	1,481.4	776.3
27	क्रोशिया	1,459.2	544.9
28	पोलैंड	1,302.2	882.9
29	कनाडा	1,262.7	565.6
30	संयुक्त राज्य	1,222.1	836.3
31	सउदी अरब	1,180.5	832.8
32	मिश्र	966.0	421.1
33	नार्वे	933.9	519.4
34	सल्तनत ए ओमान	691.1	361.9
35	अल्जेरिया	614.4	221.5
36	बल्गेरिया	576.0	257.1
37	कोरिया गणतंत्र	541.4	515.2

क्र सं	देश का नाम	मात्रा (मे ट में)	मूल्य लाख रू में
38	रोमानिया	450.2	239.4
39	टिनिशिया	439.8	160.6
40	दुबई	317.7	240.9
41	तुर्की	316.0	155.3
42	न्यूजिलैंड	310.4	166.7
43	लिथुआनिया	302.6	238.5
44	यूगोस्लाविया	268.8	89.8
45	मोराक्को	249.6	80.6
46	आस्ट्रिया	230.4	177.8
47	एस्टोनिया	220.5	158.8
48	सेज कोचिन	217.8	86.0
49	सूरिया	212.4	107.6
50	तुर्कमेनिस्तान	203.5	161.6
51	आबू - धाबी	184.0	147.6
52	वियतनाम	182.4	127.6
53	स्वीडन	169.8	116.2
54	कज़ाक्सितान	159.3	125.2
55	जॉर्जिया	157.1	98.7
56	नेपाल	154.5	321.2
57	डेनमार्क	79.9	87.0
58	लेबनन	77.1	29.2
59	केनिया	69.7	18.8
60	इरान	68.7	49.4
61	बाहरेन	57.9	48.8
62	वेस्ट इण्डीज़	53.0	23.8
63	हांग - कांग	48.4	21.2
64	अलबेनिया	38.4	17.4
65	न्यू सलेडोनिया	38.4	22.7
66	बंगलादेश	22.2	33.1
67	कत्तार	18.1	15.0
68	चीन	18.0	16.3
69	बेलारस	16.0	8.5
70	मोलडोवा	12.1	11.0
71	पेरू	6.0	4.3
72	दक्षिण अफ्रीका	5.8	5.7
73	शारजाह	5.5	5.6
74	श्रीलंका	2.5	4.0
75	फिजी	0.0	0.0
	महा योग	**2,11,566.2**	**1,22,360.9**

शून्य एक टन / लाख रू से कम के लिए है ।

2004-05 के दौरान स्पेशियालिटी कॉफी व मूल्य संवर्धित कॉफी का निर्यात

	मात्रा (मे ट में)	मूल्य (करोड रू में)
स्पेशियालिटी कॉफी	**8,967**	**59.01**
मूल्य संवर्धित कॉफी	**55,941**	**387.93**
योग	**64,908**	**446.94**

2004-05 के दौरान प्रमुख निर्यातक और उनके निष्पादन

2004-05 के दौरान प्रमुख निर्यातकों और अन्य द्वारा निर्याततित कॉफी (पुनर्नियात को शामिल कर) कुल निर्यात में उनके निर्यात के साथ उनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र सं	निर्यातकों के नाम	निर्याततित मात्रा (पुनर्नियात को शामिल कर) (टन में)	कुल का शेयर प्रतिशत
1	नेस्ले इंडिया लि	25,294	11.96
2	अल्लाना सन्स लि	20,930	9.89
3	टाटा कॉफी लि	15,929	7.53
4	हिंदुस्तान लीवर लि	15,774	7.46
5	अमालगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग लि	13,315	6.29
6	जनरल कमोडिटीस लि	13,135	6.21
7	सी सी एल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि	13,021	6.51
8	चोलास स्पाइसेस्ज प्रा लि	11,949	5.65
9	ओलम एक्सपोर्ट्स (इंडिया) लि	11,023	5.21
10	रमेश एक्सपोर्ट्स प्रा लि	9,271	4.38
11	अन्य	61,925	29.27
	योग	**2,11,566**	**100**

मार्केट इंटेलिजेंस इकाई

बोर्ड की आर्थिक एवं मार्केट इंटेलिजेंस इकाई ने निम्नलिखित क्रिया कलाप जारी रखे :

- ❖ बाजार अनुसन्धान /वस्तु विश्लेषण (वैश्विक एवं भारत)
- ❖ आपूर्ती प्राक्कलन (फसल प्रागुक्ति और प्राक्कलन)
- ❖ वस्तु जोखिम प्रबन्धन - मूल्य जोखिम एवं उत्पादन, मौसम जोखिम प्रबन्धन
- ❖ मुक्त (खुला) बाजार विकास को सहयोग
- ❖ मार्केट इंटेलिजेंस एवं सूचना प्रसार (दैनिक बाजार रिपोर्ट, कॉफी पर डेटाबेस)
- ❖ आर्थिक विश्लेषण (उत्पादन लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता, फार्म वित्तीय प्रबन्धन इत्यादि)
- ❖ भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पी एस एफ)स्कीम का परिचालन
- ❖ कॉफी पर डब्ल्यू टी ओ मुद्दों पर सलाहकार
- ❖ कॉफी पर व्यापार नीति मामलें (द्विपक्षीय व बहुपक्षीय)
- ❖ वेबसाइट प्रबन्धन
- ❖ मुख्य कार्यालय में कम्प्यूटर नेटवर्किंग

इकाई द्वारा किए गए प्रमुख क्रिया कलाप निम्नानुसार है -

1. मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम

भारत सरकार ने अप्रेल 2003 से चाय, कॉफी , प्राकृतिक रबड़ और तम्बाकू उपजकर्त्ताओं के हित के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित की है । जब इन वस्तुओं की कीमतें एक निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाती है तब मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम का उद्देश्य उपजकर्त्ताओं को वित्तीय राहत देना होता है । सरकार और /अथवा सदस्य उपजकर्ता से सदस्य उपजकर्ता के बचत बैंक खाता को अंशदान एक निर्धारित वर्ष में उस वर्ष को तेज/सामान्य/संकटपूर्ण अवधि के रूप में वर्गीकृत करने के आधार पर तय किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण एक मूल्य स्पेक्ट्रम बैंड(प्राइज़ स्पेक्ट्रम बैंड) के आधार पर किया जाएगा जिसे प्रत्येक वर्ष निर्धारित कर घोषित किया जाएगा । इन चारों वस्तुओं के लिए 40% का एक समान बैंड, इन वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सात वर्ष के गतिमान औसत से $\pm$ 20% के मूल्य स्पेक्ट्रम बैंड से अपनाया जाएगा । यह स्कीम उपजकर्ता और सरकार से अंशदान के सिद्धान्त पर आधारित है जो तेज / सामान्य/संकटपूर्ण अवधि पर निर्भर होगी जिसमें संकटपूर्ण स्थिति के दौरान उपजकर्ताओं को प्रत्याहरण करने का प्रावधान होगा । प्रतिभागी उपजकर्ता और सरकार का अंशदान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रतिभागी उपजकर्ता द्वारा इस प्रयोजनार्थ खोले गए बचत बैंक खाते में किया जाएगा । उपजकर्ताओं के खाते में प्रतिभागी उपजकर्ता/सरकार का अंशदान और उससे प्रत्याहरण इस प्रकार विनिर्दिष्ट मूल्य बैण्ड के सन्दर्भ में होगा।

जब किसी वस्तु का औसत आन्तरिक (घरेलू) मूल्य निचले बैण्ड से नीचे गिर जाएगा तब वस्तु से सम्बन्धित वर्ष को 'संकटपूर्ण वर्ष ' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिसपर सरकार उपजकर्ता के बचत बैंक खाते में 1000 रूपयों का अंशदान देगी । जब किसी वस्तु का औसत घरेलू मूल्य उच्चतर बैंड से ऊपर चला जायेगा तब उस वस्तु से सम्बन्धित वर्ष

को "तेज वर्ष" के रुप में वर्गीकृत किया जायगा जिसपर उपजकर्ता अपने बचत बैंक खात में 1000 रू का अंशदान देगा । जब किसी वस्तु का घरेलू मूल्य निचले बैंड एवं उच्चत्तर बैंड के बीच रहेगा तब उस वस्तु से सम्बन्धित वर्ष को 'सामान्य वर्ष ' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिसपर सरकार और उपजकर्ता दोनों 500-500 रूपए उपजकर्त्ता के बचत बैंक खाते में डालेंगे ।

कॉफी उपजकर्ताओं के लिए इस स्कीम को क्रियान्वित करने की कार्यान्वयन एजेन्सी कॉफी बोर्ड है। आर्थिक एवं मार्केट इंटेलिजेंस इकाई इस स्कीम के सभी गतिविधियों का समन्वय करेगी ।

31 मार्च 2005 को यथास्थिति 11,512 उपजकर्त्ताओं (हरेक) ने 500/- रू का पंजीकरण शुल्क अदा करते हुए पंजीकरण करवाया । कॉफी उपजाने वाले राज्यों में से, आन्ध्र प्रदेश से अधिकत्तम उपजकर्त्ता पंजीकृत हुए। उनकी संख्या 5,452 (47.37%) थी। इसके बाद केरल एवं कर्नाटक थे जोकि क्रमश: 2,867 (24.90%) और 2,224 (19.31%) थे जबकि तमिल नाडू से 890 (7.73%) और उड़ीसा से 79 (0.68%) उपजकर्ता इस स्कीम के तहत पंजीकृत हुए ।

पी.एस.एफ.ट्रस्ट (मूल्य स्थिरीकरण निधि) द्वारा वर्ष 2003 को 'संकटपूर्ण वर्ष ' घोषित किए जाने के पश्चात वर्ष 2003-04 के दौरान पंजीकृत कुल 8,226 कॉफी उपजकर्ताओं में प्रत्येक ने पी एस एफ ट्रस्ट से 1000 रू प्राप्त किए जिसका कुल योग 82.26 लाख रू बनते हैं। कॉफी मूल्यों में हुए सुधार के कारण वर्ष 2004 को कॉफी के लिए 'सामान्य वर्ष ' घोषित किया गया है और समस्त 11,512 उपजकर्ताओं में प्रत्येक को अपने पी एस एफ बैंक खाते में 500/- रूपए जमा करने हैं। पी एस एफ ट्रस्ट भी 500 रू का समान अंशदान देगा। वर्त्तमान में यह स्कीम योग्य उपजकर्ता सदस्यों को मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करती है।

2. कॉफी निर्यात करनेवाले देशों के संभार तंत्र और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता

संभार तंत्र लागत फार्म गेट मूल्य के निर्धारक होते हैं । इन लागत खण्डों के कुशल प्रबन्धन से बेहतर फार्म गेट मूल्य प्राप्त होते हैं । समग्र आपूर्ती श्रृंखला की लागत कुल प्राप्त मूल्य का 10% हो सकती है । अत: एक मूल वस्तु की प्रतिस्पर्धात्मकता में संभार तंत्र के लागत की प्रतिस्पर्धात्मकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । अत: इन लागत घटकों को स्पष्ट पहचानने और निर्देश चिन्ह बनाने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बाजार लक्षणों, संभार तंत्र में लागत सक्षमता, आपूर्ति श्रृंखला के प्रबन्धन का मूल्यांकन करना और तीन प्रतिस्पर्धी देश यथा भारत, ब्राज़िल और वियत्तनाम में निर्यातकों के संगठनात्मक एवं प्रशासनिक कार्यों को जानना होगा ।

भारत सरकार के एम ए आई स्कीम के तहत बोर्ड ने **'कॉफी निर्यात करने वाले देशों के संभार तंत्र और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता '** शीर्षक से इस अध्ययन की जिम्मेदारी ली है ।

इस अध्ययन के लिए अपनाए गए कार्य पद्धति में गहन डेस्क अनुसन्धान के साथ साथ क्षेत्र संदर्शन और भारतीय कॉफी (फार्म गेट से एफ ओ बी) के सभी आपूर्ती श्रृंखला लागत और सेवा स्तरीय निर्धारकों के साथ साथ आधार भूत तत्व यथा कठोर संरचना, कराधान प्रणाली और संरचनात्मक परिमापों का भी अध्ययन किया गया। इसी प्रकार के अध्ययन

अन्य अग्रणी कॉफी निर्यातक देशों अर्थात ब्राज़िल एवं वियत्तनाम में भी चलाए गए । अन्त में तीनों देशों के लिए संभार तंत्र और सेवा स्तरों के निर्देश चिन्ह बनाए गए ।

अध्ययन ने स्पष्टतया बताया है कि जहाँ तक आपूर्ति श्रृंखला लागत का सवाल है, वियत्तनाम सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक उद्‌गम है। वियत्तनामीय रोबस्टा के कुल सुप्रचालनिक लागत (प्रसंस्करण को शामिल करते हुए) ग्रीन बीन इक्वीवेलेन्ट (जी बी ई) हेतु 2600 रूपए प्रति टन है । भारत में यही लागत 5500 रूपए होगी। इस बडे फर्क का कारण आने वाले सम्भार तंत्र लागत, प्रसंस्करण लागत और बाहर जाने वाले सम्भार तंत्र लागत है।

रचनात्मक परिमापों को देखें तो, भारतीय कॉफी को प्रचालन स्केल से जुडी हानि का सामना करना होता है । बडे भारतीय निर्यातक की तुलना ब्राज़िल के 30 वें स्थान पर स्थित निर्यातकों के साथ ही की जा सकती है । भारत में आपूर्ती श्रृंखला (मध्यस्थों की संख्या) की लम्बाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ के बागान छोटे छोटे हैं और फार्म गेट स्तर पर ही संगठित वित्त की सुलभता नहीं है । ब्राज़िल के सहकारी संस्थाओं या वियत्तनाम के संग्राहकों (कलक्टर्स) जैसे समूहित प्रक्रमों की गैर मौजूदगी भारतीय मूल की कॉफी की आपूर्ति श्रृंखला लागत को और अधिक बढ़ा देती है ।

अध्ययन के आधार पर की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार है :

1. अलग वेयरहाऊसिंग और प्रसंस्करण क्रिया कलाप
2. क्रय कर को समाप्त करना
3. निर्यात उपकर को हटाना
4. पादप परिशोधी प्रमाणन प्रभार को कम करना
5. निर्यात हेतु कॉफी बोर्ड परमिट की समय सीमा को बढाना
6. सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में सुधार
7. कॉफी परिवहन हेतु अधिक वजन ढोनेवाले वाहनों का प्रयोग

CHAPTER – VIII

लेखा और वित्त

कार्य

बोर्ड के वित्त विभाग के कार्य निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड के विभिन्न विभागों के लेखों का संकलन और रख-रखाव।
- बजट प्राक्कलनों को तैयार करना और बोर्ड के विभिन्न विभागों को बजट का आबंटन।
- बोर्ड के कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा करना।
- बोर्ड के नकद और अन्य वित्तीय लेन-देन पर प्रभावी नियंत्रण रखना, ताकि संसाधनों के आर्थिक और मूल्य दक्ष प्रविस्तार को सुनिश्चित किया जा सके।
- वित्तीय आशय से जुडे सभी मामलों पर सलाह देना।
- निधि आदि के रिलीज से सम्बन्धित विषयों पर वाणिज्य मंत्रालय के वित्त विभाग से सम्पर्क रखना।
- पूल विपणन से सम्बन्धित लम्बित मामलों यथा विक्रय कर, अदायगियों इत्यादि को निपटाना।

2004-2005 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान योजना निधि

रूपए करोड़ में

योजना स्कीम उत्तर पूर्व क्षेत्र को शामिल कर	30.70
उपदान उत्तर पूर्व क्षेत्र को शामिल कर	19.30

योजना अनुदान का उपयोजन 2004-05 :

योजना अनुदान एवं उपदान को 6 स्कीमों पर निम्नलिखित 16 घटको के लिए उपयोजित किया गया :

क्र. सं	स्कीम का नाम	व्यय रू.लाख में
I.	**उत्पादन, उत्पादकता एवं क्वालिटी को बढाना :**	
1.	पौधा सुधार व जीव तकनीक	80.47
2.	फसल प्रबन्धन	113.02
3.	पौधा संरक्षण	80.39
4.	कटाई पश्चात तकनीक का मानकीकरण, कॉफी में कवक विषालुता एवं कीटनाशक अवशिष्ट	31.72
5	गुणता मूल्यांकन परीक्षण केन्द्रों की स्थापना, प्रशिक्षण प्रमाणीकरण प्रणाली एवं फार्म में/के बाहर क्वालिटी उन्नयन	52.85
6	उत्तर पूर्व क्षेत्र में कॉफी विकास	269.22
6क.	गैर पांरपरिक क्षेत्र में कॉफी विकास	136.94
7.	जैव कॉफी की प्रोन्नति	28.44
	स्कीम I का योग	**793.05**

क्र. सं	स्कीम का नाम	व्यय रू.लाख में
II	**अध:संरचनात्मक विकास, क्षमता निर्माण एवं तकनॉलाजी का अन्तरण**	
1.	विस्तरण केन्द्रों के जरिए तकनीक का अन्तरण	269.24
2.	अनु/विस्तरण फार्मों का अनुरक्षण	510.26
2क	अध:संरचनात्मक विकास	422.04
3.	स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन	334.10
4.	बोर्ड के कार्मिक सहित उद्योग के विभिन्न खंण्डो में क्षमता निर्माण	117.71
5.	श्रम कल्याण उपाय	38.81
	स्कीम II का योग	**1692.16**
III	**बाजार विकास**	
1.	भारतीय कॉफी की निर्यात प्रोन्नति	161.50
2.	घरेलू कॉफी उपभोग की प्रोन्नति	97.00
3.	अर्थ एवं मार्केट इंटेलिजिंस इकाई को सुदृढ करना	52.94
	स्कीम III का योग	**311.44**
IV	**छोटे उपजकर्ता सेक्टर को समर्थन**	
1.	विकास व कार्यान्वयन एवं पुनर्रोपण तथा जल आवर्धन के लिए प्रोत्साहन, प्रदूषण कम करना	13.97
	स्कीम IV का योग	**13.97**
	कुल योजना व्यय	**2810.62**

क्र. सं	स्कीम का नाम	व्यय रू.लाख में
1.	उत्तर पूर्व क्षेत्र में विशेष पैकेज	118.84
2.	आन्ध्र प्रदेश व उडीसा में विशेष पैकेज	52.66
3.	पौधा संरक्षण	259.79
4.	विकास कार्यान्वयन एवं प्रदूषण कम करना एवं पुनर्रोपण तथा जल आवर्धन हेतु प्रोत्साहन	231.53
V	**छोटे उपजकर्ताओं को ब्याज उपदान**	**51.50**
VI	**परिवहन उपदान**	**177.19**
	कुल उपदान	**891.51**
	अन्य	
1.	बाजार प्रवेश पहल	47.83
2.	बाजार विकास सहायता	12.35
	योग	**60.18**
	महायोग	**3762.31**

गैर-योजना

गैर-योजना निधि	रू 13.00 करोड

गैर-योजना निधि का उपयोजन, वेतन एवं पेंशन सम्बन्धी व्ययों पर किया जाता है ।

वाणिज्य मंत्रालय से निम्नलिखित निधियाँ भी प्राप्त हुई जो मंत्रालय द्वारा बोर्ड के जरिए संचालित की गई स्कीमों के लिए निर्धारित थी :

	(रूपए करोड में)
मार्केट प्रवेश पहल स्कीम	0.15
मार्केट विकास सहायता	0.13

निम्नलिखित शेष भी मौजूद है

पेंशन

	(रूपए करोड में)
पेंशन कार्पस	19.57

19.57 करोड रूपए के पेंशन कार्पस को राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया गया है और वे प्रचलित दर पर ब्याज कमा रहे हैं । वर्ष में कुल 1.09 करोड रूपये ब्याज के रूप में मिले। 11 करोड रूपयों की पेंशन देयता में इस ब्याज का आंशिक सहयोग रहा।

मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है । जब कॉफी की कीमतें निर्धारित स्तर से नीचे गिर जायें तो कॉफी बोर्ड के जरिए वित्तीय राहत देकर उपजकर्ताओं की हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है । संग्रहित निधि और बोर्ड द्वारा किए गए व्यय, मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट के मानदण्डों के अनुरूप होते हैं । इस स्कीम के तहत लाभानुभोगियों/ उपजकर्ताओं की संख्या 11512 के करीब है ।

वर्ष 2004-05 के दौरान उपदान लेखा के अधीन छोटे उपजकर्ता सेक्टर को समर्थन नामक स्कीम के तहत 231.53 लाख रूपए खर्च हुए। वर्ष 2003-04 में 54.19 लाख रूपयों का वास्तविक खर्च हुआ।

बोर्ड के लेखे तीन सेट में तैयार किए गए हैं यथा प्राप्तियाँ और अदायगियाँ, आय एवं व्यय तथा वर्ष 2004-05 का तुलन-पत्र । इन लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के लेखा परीक्षा के अधीन की गई है। वर्ष 2004-05 की कॉफी बोर्ड सामान्य निधि, पेंशन निधि, भविष्य निधि एवं कैलण्डर वर्ष 2004 की पूल निधि की प्रतियाँ लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।